

ISBN-09



प्रगति

नवम्बर 2019

विकास की समर्पित मासिक

₹ 22

150
YEARS OF
CELEBRATING
THE MARATHA

स्वच्छ देश-स्वस्थ समाज

गांधी-स्वच्छ भारत अभियान का मूल
सूर्जीय प्रज्ञपदा, स्वाति पर्याकारी

स्वच्छ भारत-सफलता का एक अध्याय
अध्ययन गड्ढ

दिल्ली मैट्रो-सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता
अनुज दयाल



फोकस
स्वच्छता की अर्थव्यवस्था और
सफाई कर्तियों की गरिमा
गतीय कृष्णराम गंगवार

विशेष आलेख
लोक नीति
पांचशतांश अध्याय

10 साल की ग्रामीण स्वच्छता रणनीति (2019-2029)



पेय जल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरूआत की है। यह अभियान 2019 से 2029 तक यानि 10 साल तक चलेगा। इसमें स्वच्छता संबंधी उन आदतों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण अभियान के तहत लोगों में विकसित की गई। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी इस अभियान से अछूता न रह जाए। साथ ही, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराना भी इसका लक्ष्य है। ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्ति) प्लस अभियान में स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने के मकसद से यह रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति में विकास के साझेदारों, सिविल सोसायटी और अंतर-सरकारी साझेदारी के साथ संभावित समन्वय के बारे में भी बात की गई है।

रेलवे स्टेशनों की सफाई सर्वेक्षण रिपोर्ट-2019

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेल तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 'स्टेशनों की सफाई सर्वेक्षण रिपोर्ट (गैर-उपनगरीय और उपनगरीय स्टेशन 2019)' जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 720 स्टेशनों में राजस्थान के कुल 7 रेलवे स्टेशनों ने टॉप 10 स्टेशनों में जगह बनाई। इन स्टेशनों में जयपुर, दुर्गापुर, जोधपुर, सूरतगढ़, उदयपुर और अजमेर शामिल हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन को दिल्ली का सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया और देशभर के स्वच्छ स्टेशनों की सूची में यह 26वें पायदान पर रहा। यह रैंकिंग अलग-अलग मानकों पर आधारित है और इस प्रक्रिया में यात्रियों की राय और अन्य मूल्यांकनकर्ताओं की टिप्पणी भी शामिल है। इस रैंकिंग के आकलन में स्टेशनों में हरियाली की मौजूदाती को भी एक पहलू माना गया। भारतीय रेल ने 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा का जश्न मनाया। इसने अपने परिसर में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पर भी पाबंदी लगा दी।

शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग

भारत में शहरों की स्वच्छता के आकलन के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लीग (एसएस लीग 2020) शुरू की है। यह मूल्यांकन हर तिमाही किया जाएगा। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से जुड़ा होगा। देश के शहरी इलाकों में 5वां सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तत्वाधान में जनवरी-फरवरी 2020 में आयोजित किया जाएगा। एसएस लीग 2020 का मकसद स्वच्छता के मामले में जमीनी स्तर पर शहरों के प्रदर्शन को बेहतर करना और सेवाओं के प्रदर्शन पर लगातार निगरानी रखना है। यह अभियान तीन तिमाहियों में आयोजित किया जाएगा- अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर। हर तिमाही से जुड़े मूल्यांकन के लिए 2,000 अंक होंगे। स्वच्छ भारत अभियान-शहरों से जुड़ी मासिक गतिविधियों और कॉल के जरिये 12 सूचकांकों पर नागरिकों की राय को आधार बनाकर यह मूल्यांकन किया जाएगा। जनवरी 2020 के सालाना सर्वेक्षण में तिमाही मूल्यांकनों को 25 प्रतिशत भारिता दी गई है, लिहाजा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए एसएस लीग 2020 के तहत शहरों का प्रदर्शन बेहद अहम है।

(स्रोत: पीआईबी)



"#स्वच्छ भारत मिशन की सफलता कई प्रमुख चीजों पर निर्भर करती है। मसलन, संचार रणनीति; जमीनी स्तर पर व्यवहार में बदलाव संबंधी अभियान और समुदायों के बीच जिम्मेदारी का अहसास पैदा करने की कोशिश।" @SwachhBharatGov



"साइकिल चलाना पर्यावरण को बचाने और सेहतमंद जीवन शैली का बेहतरीन तरीका है। हमें कम से कम एक बार ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए और स्वच्छ भारत के लिए अपना प्रयास करना चाहिए।" @SwachhBharatGov



प्रधान संपादक : राजेद भट्ट
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक) : 24362971
संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : वी के मीणा
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराइ से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना मंगवाने की दरें

एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003



इस अंक में

फोकस

स्वच्छता की अर्थव्यवस्था और

सफाई कर्मियों की गरिमा

संतोष कुमार गंगवार 7




विशेष आलेख

लोक नीति

परमेश्वरन अव्वर 15

गांव-स्वच्छ भारत अभियान का मूल
सुजाँय मजूमदार,
स्वाति मंचिकार्ति 19



सरदार बल्लभभाई पटेल-एकीकरण के सूत्रधार
आई जी पटेल 45




व्यवहार में स्थाई बदलाव जरूरी
सास्वत नारायण विश्वास,
इंद्रानिल डे,
ज्ञानमुद्रा 24

नियमित स्तंभ
क्या आप जानते हैं? 31
पुस्तक चर्चा 50

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं.13

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

संपादकीय



हम बदलें : बदले अपना देश

कि

सी भी देश की संस्कृति का असर उसमें प्रचलित साफ-सफाई के तौर-तरीकों पर पड़ता है। समाज के रूप में भारत में स्वच्छता की लंबी परम्परा रही है जो हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं और जीवनशैली में रची-बसी है। विभिन्न आस्थाओं वाले लोगों की स्नान, मज्जन, प्रश्नालन और बजू जैसी व्यक्तिगत सफाई की रस्मों के साथ-साथ त्योहारों के अवसर पर घरों को साफ-सुथरा करके सजाने तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंचतत्वों में संतुलन को बनाए रखने की प्रधाएं सांस्कृतिक संदर्भ में पर्यावरण और स्वच्छता के महत्व का ही प्रतीक हैं।

अपशिष्ट (कूड़ा-करकट) प्रबंधन की चक्रीय अर्थव्यावस्था, जो आज दुनिया भर में शासन संचालन की बुनियादी नीति बन गयी है, उसके मूल में भी 'बर्बादी कम करने' का सिद्धांत रहा है। यह दान करने, साझा करने और मिल-बांटकर उपयोग करने की हमारी पारंपरिक चेतना में समाहित है जिसे पुस्तकों, वस्त्रों, बरतनों और अन्य मरेलू व सामुदायिक वस्तुओं के उपयोग में देखा जा सकता है। कई बार तो ये वस्तुएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक को दे दी जाती हैं। यही कम-से-कम में गुजारा करने और न्यूनतम अवशिष्ट छोड़ने की हमारी अनोखी जीवनशैली की विशेषता है। गांधी जी की विभिन्न 11 प्रतिज्ञाओं में से एक अपरिग्रह (संग्रह न करने) की प्रतिज्ञा भी इसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है—हमें ऐसी कोई भी चीज अपने पास जोड़कर नहीं रखनी चाहिए जिसकी हमें आज जरूरत नहीं हो। इससे एक तो बर्बादी कम होगी और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ भी कम बनेंगे।

जैसे-जैसे उपभोक्तावाद बढ़ा और सामाजिक खाई फैलने लगी, तो जहाँ एक ओर कूड़े-करकट का अंबार लगना शुरू हो गया, वहाँ स्वच्छता के आदर्श तौर-तरीकों को भी हमने त्यागना शुरू कर दिया। मिट्टी, पानी और हथा का प्रदूषण बढ़ने से मनुष्यों, खास तौर पर समाज के उपेक्षित वर्गों के लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने लगा। गांवों में गंदे पानी की निकासी की प्रणाली का अभाव है, लोग साफ-सफाई को पर्याप्त महत्व नहीं देते और इस बारे में जनता को जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र के वैशिक चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल को सभी की पहुंच के दायरे में लाने, सबके लिए समानता के आधार पर पर्याप्त स्वच्छता और आरोग्य की सुविधा उपलब्ध कराने, स्थलों में शैच की बुराई को समाप्त करने, महिलाओं, बालिकाओं और मुसीबत में फंसे दुर्लक्षित लोगों की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने, जल प्रदूषण में कमी लाकर पानी की गुणवत्ता सुधारने, खतरनाक रसायनों और सामग्री के रिसाव को कम से कम करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने तथा जल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में क्षमता निर्माण जैसे कार्यों में विकासशील देशों को मदद देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गयी है।

स्वच्छता एक ऐसा गुण है जो अपने अंदर से उत्पन्न होता है और यह बात व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, तीनों पर लागू होती है। परिवेश के प्रति हमारे दृष्टिकोण में तथा भावी पीढ़ी के लिए विरासत में हम क्या देना चाहते हैं, इसकी झलक ऐसी में दिखाई देती है। इस संबंध में किसी भी बड़े बदलाव के लिए व्यवहार संबंधी जबरदस्त परिवर्तन करने होंगे। पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव तथा साफ-सफाई के स्वस्थ तौर-तरीकों को सुनुद करके बनाए रखना होगा। इसके अलावा सभी स्तरों पर मजबूत नेतृत्व, जनता की भागीदारी और प्रभावी संचार भी इस तरह के बदलाव के लिए आवश्यक होगा।

स्वच्छता की चुनौती से निपटने के लिए इन दिनों हमारे देश में जनांदेलन का रूप ले लिया है। सभी स्तरों पर और सभी तरह के अपशिष्ट के प्रबंधन, जलाशयों को पुनर्जीवित करने, चिरस्थायी अस्तित्व वाले गांवों, शहरों और सार्वजनिक स्थानों के विकास के लिए हम में से हर किसी को जुटाना होगा। सरकारों, संस्थाओं, स्कूलों, कारपोरेट घरानों, नागरिक संगठनों, निवासी कल्याण एसोसिएशनों और पंचायतों-सब जगह इस तरह के समर्पित कार्यकर्ताओं और स्वच्छग्राही की आवश्यकता होगी। स्वच्छता को लेकर समाज में इस तरह का व्यवस्थित व्यवहार परिवर्तन लाना हम सबका सामूहिक दायित्व है जिसे हमने स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरा करना होगा।

स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध मानवीय गरिमा से भी है। अथक परिश्रम करने वाले हमारे सफाई कर्मियों को उनके श्रम का सम्मान दिलाना अत्यंत आवश्यक है। परिवेश को साफ-सुथरा बनाकर वे समाज के प्रति जो योगदान कर रहे हैं उसे पूरा सम्मान मिलना जरूरी है। कूड़े-करकट का जो अम्बार हम खड़ा करते जा रहे हैं उसे कम करना होगा। 'योजना' का यह अंक इन्हीं अनगिनत स्वच्छता कर्मियों को समर्पित है जो स्वच्छता जनांदेलन की असली ताकत रहे हैं। इससे जहाँ स्वच्छता क्षेत्र के आस-पास के परिदृश्य के नीतिगत ढांचे को गहराई से अध्ययन करने में मदद मिलेगी, वहीं हमारे चारों ओर दिखाई दे रहे परिवर्तनों के पीछे की यशस्वाधाओं का आनंद लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी ये छोटे-छोटे कदम हमारे हरे-भरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। □



स्वच्छता की अर्थव्यवस्था और सफाई कर्मियों की गरिमा

संतोष कुमार गंगवार

‘हर एक व्यक्ति को अपनी सफाई का काम खुल करना चाहिए। महात्म्यम् भी उतना ही जरूरी है कि नितना घोड़न बरना, इसलिए, सबसे अच्छा यही होगा कि हर व्यक्ति अपनी गंदगी खुल भाक करे। अगर ऐसा करना असंभव हो तो हर परिवार को अपनी सफाई का काम खुल करना चाहिए। मैं कई बारों से महसूस करता रहा हूं कि सफाई के काम को समाज के एक अलग चर्चा की जिमोतारी बना दिये जाने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हूई है। हमारे पास मनुष्य का ऐसा कोई ऐतिहासिक वस्तावेज़ नहीं है जिससे पता चल सके कि सबसे पहले किसने स्वच्छता सेवाओं को सबसे निचला नज़ारा दिया जबकि ये अखंत आवश्यक है। वह चाहे जो रहा हो, उसने हमारा कहती भला नहीं किया। हमारे पन में बद्धपन से ही यह बात बिठा दी जानी चाहिए कि हम सभी लोग सफाई करने चाले ही हैं और जिस किसी ने यह बात महसूस कर ली है उसके लिए ऐसा करने का सबसे आसान तरीका यही है कि वह सफाईकारी का काम बारके शारीरिक श्रम से अपनी रोज़ी-रोटी कराए। इस तरह से अगर बुद्धिमानी से सफाई का काम किया जाएगा तो इससे इसान की लागत व्यक्ति का सही मायने में आहसास होगा।’

— महात्मा गांधी।

अर्थव्यवस्था के रूप में स्वच्छता का उभरना

हाल के बर्पों में भारत में स्वच्छता अर्थव्यवस्था के बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है और इसकी भावी क्षमताएं भी बहुत अधिक हैं। स्वच्छता-अर्थव्यवस्था का मतलब महज शौचालय बनाने भर से नहीं है बल्कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, कूड़े-कचरे का निपटान और उसे उपयोगी संसाधन में बदलना तथा संचालन में दक्षता के लिए डेटा को अनुकूलतम बनाने वाली डिजिटीकृत स्वच्छता प्रणाली, रखरखाव, उपभोक्ता उपयोग और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं की अंतर्दृष्टि भी इसमें शामिल हैं।¹ स्वच्छता अपने आप में एक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अन्य अनेक विषयों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा ऐसा मुद्दा बन गया है जो स्वास्थ्य, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ाने में खास तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत में स्वच्छता की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जिन प्रमुख पहलों ने महद दी है उनमें हमारी सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.), जल शक्ति अभियान (जे.एस.ए.) और 2019 में शुरू किया गया एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने का अभियान शामिल हैं। इनका उद्देश्य सभी भारतीयों को बुनियादी स्वच्छता उपलब्ध कराना और सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपों के जरिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है। ‘दौर्योदेश लोड कोअलिशन’ की हाल की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अकेले भारत में 2017 में 32 अरब अमरीकी डॉलर का

स्वच्छता बाजार उपलब्ध या जो चार साल के लिए आये में ही, यानी 2021 तक 62 अरब डॉलर का हो जाएगा। निकट भवित्व में हमारी स्वच्छता अर्थव्यवस्था में जो जबरदस्त बढ़ोतरी होनी है उसे बताने के लिए, यही आंकड़ा काफी है।²

स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी सरकार की अभिनव पहल से नित्री क्षेत्र को न केवल अनेक व्यापारिक अवसर प्राप्त होंगे बल्कि इससे हमारी सरकार को नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनके जीवन को आसान बनाने की हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने में भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के नये अवसर उत्पन्न करने की भी क्षमता है और इससे हमारा आर्थिक विकास सही मायने में समावेशी और चिरस्थायी हो सकता है।

स्वच्छता के क्षेत्र में भारत की पहल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों ने स्वागत किया है जिनमें 17-30 सितंबर, 2019 तक न्यू यॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 74वां अधिवेशन भी शामिल है। कहा गया है कि इस क्षेत्र में भारत की सफलता से विश्व में सतत विकास के लक्ष्य (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी को पर्याप्त और समानता पर आधारित पहुंच उपलब्ध कराना तथा 2030 तक खुले में शौच करने की बुराई को दूर करना (एस.डी.जी. 6, लक्ष्य 6.2) जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं जिन्हें सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के तहत 2000 से 2015 तक प्राप्त किया जाना था भगव अभी तक जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सका है।

इस व्यापक पृष्ठभूमि के बाद आगे के खंडों में स्वच्छता के दो महत्वपूर्ण पहलुओं



प्रयागराज, उत्तर प्रदेश कुंभ मेले में सफाई कर्मी

पर प्रकाश डालना चाहता हूं ये हैं—स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी सरकार की रणनीति और इसकी प्रभावी क्षमता तथा संकल्प से सिद्धि के व्यापक ढांचे के तहत 'न्यू इंडिया' के निर्माण के लिए 'स्वच्छ भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने का सरकार का संकल्प, इतना ही नहीं हमारी सरकार ने साफ-सफाई का काम करने वाले करीब 50 लाख सफाई कर्मियों को सम्मान दिलाने की स्वच्छता-क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने और अंततः आगे के रास्ता खोजने की दिशा में भी पहल की है।⁴

स्वच्छता की दिशा में सरकार की पहल

मानवीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 तक 'न्यू इंडिया' के निर्माण की दिशा में पहला कदम स्वच्छ भारत की शपथ है। इसी सिलसिले में स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी सरकार की तीन प्रमुख योजनाओं के साथ-साथ यह भी चर्चा की गयी है कि वे कितनी प्रभावी हैं।

इस दिशा में पहली पहल- 'स्वच्छ भारत मिशन' (एस.बी.एम.) है जिसका उद्देश्य स्वच्छता के दायरे का विस्तार करके भारत को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच की बुराई से मुक्त कराया जाना था। पांच साल पहले जब प्रधानमंत्री ने इस मिशन का शुभारंभ किया तो चुनौती बड़ी जबरदस्त थी। देश के ग्रामीण इलाकों में केवल 38.7 प्रतिशत घरों में शौचालय थे। राष्ट्रीय स्तर

के आंकड़ों से पता चलता है कि खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से भारत दुनिया में सबसे आगे था। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में प्रधानमंत्री ने लोगों का आहवान किया कि वे 2 अक्टूबर, 2019 तक महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करके उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर उन्हें साफ-सुधरे भारत की सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि अर्पित करें।


मुझे इस बात पर गौर करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ करके हमारी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 1007.98 लाख शौचालय बनाए हैं जिससे शत-प्रतिशत घरों को निजी शौचालयों की सुविधा वाले परिवारों के दायरे में लाया जा सका है, यानी 2014 से

2019 के बीच निजी शौचालय वाले परिवारों की संख्या में 61.3 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ि दर्ज की गई। (चित्र-1) इसी अवधि के दौरान 699 जिलों, 2,58,657 ग्राम पंचायतों और 5,99,963 गांवों ने अपने आप को खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित कर दिया।⁵ जहां तक शहरी इलाकों का सवाल है 2014 और 2019 के बीच 60 लाख घरेलू और 5.5 लाख सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 79,000 घरों (86 प्रतिशत) में घर-घर जाकर शहरी टोंस कचरे के संग्रह की शत-प्रतिशत व्यवस्था सुनिश्चित की गयी जिनमें से 60 प्रतिशत में कूड़े को म्रोत पर ही छांट कर अलग-अलग कर लिया

जाता है।⁶ निश्चय ही यह बड़ी जबरदस्त उपलब्धि है क्योंकि 2014 में केवल 41 प्रतिशत कूड़े को म्रोत पर ही छांटाई करके अलग किया जाता था।

ये आंकड़े कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं हैं और इनसे पता चलता है कि हमारी सरकार न सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करती है, बल्कि तय समय सीमा में लक्ष्य प्राप्त कर नीजे भी हासिल करती है। 2 अक्टूबर, 2019 को स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने देशवासियों, खास तौर पर गांवों में रहने वालों, सरपंचों और स्वच्छता के लिए काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने उप्र तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर जैसे अंतरों को भुलाकर सफाई, गरिमा

चित्र 1 : शौचालय वाले घरों की संख्या (प्रतिशत में)



स्रोत: <http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx>

और सम्मान की शपथ को पूरा करने में अपना योगदान किया। उन्होंने कहा कि समूचा विश्व इस बात से हैरान है कि भारत ने 60 महीनों में 60 करोड़ से अधिक लोगों को सार्वजनिक और स्वैच्छिक भागीदारी के जरिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध करादी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल और मजबूत 'न्यू इंडिया' की महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हमारी सरकार ने जहां अपने पहले कार्यकाल (2014-2019) में शौचालयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था वहीं उसके दूसरे कार्यकाल की प्राथमिकता नलों के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने, सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने और कूड़े-करकट का निस्तारण सुनिश्चित करने की है ताकि देश में स्वच्छता को अगले स्तर तक ले जाया जा सके। निस्संदेह हमारी सरकार की इन नई पहलों से अगले पांच वर्षों में हमारे नौजवानों के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसर उत्पन्न होंगे।

मई 2019 में कुछ मौजूदा मंत्रालयों और विभागों का पुनर्गठन करके 'जलशक्ति' नाम का नया मंत्रालय बनाया गया। इसके कुछ ही महीनों के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 'जल जीवन मिशन' के शुभारम्भ की घोषणा की ताकि 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे सघन जल संरक्षण योजना में सहयोग के लिए आगे आएं और देश भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने में जन-भागीदारी का फायदा उठाएं। 'स्वच्छ भारत मिशन' की ही तरह 'जल जीवन मिशन' का लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ घरों में पाइपों के जरिए पेयजल की आपूर्ति होती है और लोगों, खास तौर पर महिलाओं को पानी लाने के लिए लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन यह कोई असम्भव कार्य नहीं है और हम निर्धारित समय सीमा में राज्य सरकारों समेत तमाम हितधारियों के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 'जल जीवन

मिशन' से स्वच्छता अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलेगा जिससे देश में रोज़गार के नये अवसर पैदा होंगे। सरकार आने वाले समय में सिर्फ इस मिशन पर 3.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

2 अक्टूबर, 2019 से केवल एक बार इस्तेमाल हो सकने वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने की हमारी सरकार की पहल से इधर-उधर बिखरे रहने वाले कूड़े में काफी कमी लाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी क्योंकि देश में हर साल करीब 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इससे देश में चल रहे स्वच्छता आंदोलन में ही काफी मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे जमीन और पानी के प्रदूषण से निपटा जा सकेगा और हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य में भी सुधार लाया जा सकेगा।

सफाई कर्मियों की गरिमा

सफाई कर्मी इस परिकल्पना के प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैं। लेकिन इस व्यवसाय में शामिल मजदूरों, खास तौर पर हाथ से मैला उठाने वालों को अपने काम की बजह से सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार ने सफाई कर्मियों के बारे में लोगों की धारणा में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाये हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने स्वयं एक अभियान शुरू कर जनता से आग्रह किया कि वे सफाई कर्मियों को संबोधित करने के अपने तरीकों में बदलाव करें और उन्हें कूड़ेवाला/कचरावाला न कहकर सफाईवाला के नाम से पुकारें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में संपन्न हुए कुंभ मेले के दौरान मैला स्थल और उसके आस-पास के इलाके को साफ-सुथरा और स्वास्थ्यप्रद बनाए रखने

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 'जल जीवन मिशन' के शुभारम्भ की घोषणा की ताकि 2024 तक सभी घरों में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति (हर घर जल) सुनिश्चित की जा सके।

में सफाई कर्मियों के प्रयासों और योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने उनके पैर धोए जिसकी जनता ने व्यापक रूप से सराहना की। हाल में वह मथुरा में कूड़ा बीनने वालों के साथ बैठे और उन्होंने कूड़े-करकट के बड़े ढेर में से प्लास्टिक की चीजें अलग कीं। प्रधानमंत्री और मन्त्रिमंडल में मेरे कई सहयोगी तथा शीर्ष अधिकारी हाथों में झाड़ू लेकर सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हुए दिखाई दिये। बहुत से लोगों ने भले ही इसे दिखावा कहा हो, लेकिन मेरे लिये यह सफाई कर्मचारियों के महत्व और उनके योगदान को महत्व प्रदान करने के हमारी सरकार के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। इससे समाज को यह जोरदार संदेश भी गया है कि हमारी सरकार सफाई कर्मियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

सफाई कर्मियों के प्रति लोगों की धारणा में बदलाव लाने के अलावा हमारी सरकार ने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्हें कई कानूनी संरक्षण प्रदान किये गये हैं और उनकी आमदनी में सुधार और उन्हें वित्तीय तथा पेंशन, स्वास्थ्य और आवास संवंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल शुरू किया गया है। मैं सफाई कर्मियों की स्थिति में सुधार और उनके कल्याण के लिए सरकार की कुछ प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। (क) हाथ से मैला साफ करने की कुप्रथा को समाप्त करने के बारे में कानूनी संरक्षण

सफाई कर्मियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में रखा जाता है—सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला साफ करने वाले। इनमें से ज्यादातर ठेका मजदूरों के रूप में बेहद जोखिम वाले हालत में काम करते हैं। शौचालयों, सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों और रेलवे पटरियों की सफाई करते समय उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बहुत खराब स्थितियों में काम करना पड़ता है।

हाथ से मैला साफ करने के लिए सफाई कर्मियों को काम पर रखने से रोकने के लिए सरकार ने हाथ से मैला ढाने वाले कर्मी के रूप में नियोजन पर प्रतिबंध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (एम.एस. एक्ट, 2013) बनाया है जो 6 दिसंबर, 2013 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के

उद्देश्य हैं: (1) अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करना, (2) (क) हाथ से मैला ढोने वाले सफाईकर्मी के रूप में काम पर रखने, और (ख) सीवर या सेप्टिक टैंक की हाथों से खतरनाक सफाई पर पाबंदी लगाना और (3) देश में हाथ से मैला साफ करने वाले सफाई कर्मियों का सर्वेक्षण करवाना और समयबद्ध तरीके से उनका पुनर्वास करना। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर दो साल तक का कारावास और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

2014 में एम.एस. एक्ट 2013 के विभिन्न प्रावधानों पर अमल को प्राथमिकता दी गयी और अस्वच्छ शौचालयों का पता लगाकर उन्हें तेजी से समाप्त करने तथा हाथ से मैला साफ करने को रोकने के लिए विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और उनकी योजनाओं के बीच तालमेल कायम किया गया। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जलशक्ति मंत्रालय (जिसे पहले पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के नाम से पुकारा जाता था) अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने और उन्हें बदलने के लिए 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी तरह शहरी विकास मंत्रालय (जिसे अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कहा जाता है) स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत अस्वच्छ शौचालयों में बदलाव करने के लिए 4,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध कराता है। हाथ से मैला साफ करने वालों की पहचान करने के लिए भी सर्वेक्षण कराए गये हैं।

(ख) न्यूनतम मजदूरी, काम करने के लिए सुरक्षित माहौल और पेंशन संबंधी फायदे

न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने और सभी सफाई कर्मियों को इसके समय पर भुगतान के लिए श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने मजदूरी विधेयक संहिता, 2019 बनवाई जिसे 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस विधेयक में कठिन हालात में खतरनाक और श्रमसाध्य काम करने वाले मजदूरों को अधिक मजदूरी के रूप में राहत देने का भी प्रावधान है जिससे लाखों स्वच्छता कर्मियों को फायदा होगा। इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उनका सम्मान बहाल होगा। संहिता में मजदूरी, रोजगार देने

और काम करने की स्थितियों के मामले में स्त्री-पुरुष भेदभाव करने की भी मना ही है जिससे महिला स्वच्छता कर्मियों को लाभ मिलेगा।

स्वच्छता कर्मियों के मामले में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और काम करने की बहेतर स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मजदूरी संहिता, 2019 के अलावा हमने 23 जुलाई, 2019 को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थितियों के बारे में संहिता, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत की है। इसमें 13 केन्द्रीय श्रम अधिनियमों के संबंधित प्रावधानों का समावेलन और सरलीकरण कर उन्हें युक्तिसंगत बना दिया गया है। संहिता के विभिन्न सहायक प्रावधानों से न केवल स्वच्छता कर्मियों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उनके लिए सुरक्षित तथा स्वस्थ कामकाजी माहौल सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

सामाजिक सुरक्षा सभी कामगारों के लिए सामान्य रूप से और स्वच्छता कर्मियों के लिए खास तौर पर एक महत्वपूर्ण मुद्रा है जो मन्त्रालय की कार्यसूची में शीर्ष पर है। सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाने के लिए इस समय प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें न

प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता के अलावा मन्त्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन (पीएम-एसवाइएम) नाम की पेंशन योजना का 5 मार्च, 2019 को शुभारंभ किया ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में संरक्षण प्राप्त हो सके।

इससे स्वच्छता कामया का भा
फायदा मिल सकेगा। यह योजना
इस समय 36 राज्यों/केन्द्र शासित
प्रदेशों में चल रही है और
असंगठित क्षेत्र के 33,66,995
कामगारों को इसके अंतर्गत
सफलता पूर्वक पंजीकृत
किया जा चुका है।

केवल संगठित क्षेत्र के थोड़े से कामगारों को
फायदा होगा बल्कि विशाल असंगठित क्षेत्र
के कामगार भी इसके दायरे और कार्यक्षेत्र
में आएंगे। स्वच्छता कर्मियों का बड़ा हिस्सा
असंगठित क्षेत्र में है इसलिए प्रस्तावित
सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान उन्हें
सामाजिक सुरक्षा के कानूनी अधिकार भी
उपलब्ध कराएंगे।

प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा सहित के अलावा मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन (पीएम-एसवाइएम) नाम की पेंशन योजना का 5 मार्च, 2019 को शुभारंभ किया ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में संरक्षण प्राप्त हो सके। इससे स्वच्छता कर्मियों को भी फायदा मिल सकेगा। यह योजना इस समय 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में चल रही है और असंगठित क्षेत्र के 33,66,995 कामगारों को इसके अंतर्गत सफलता पूर्वक पंजीकृत किया जा चुका है।⁷ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत प्रत्येक अंशदाता को 60 साल की उम्र का हो जाने पर न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। योजना के अंतर्गत अंशदान करने वाले कामगार के लिए उम्र से जुड़ी मासिक प्रीमियम की राशि काफी कम रखी गयी है और केन्द्र सरकार की ओर से भी प्रीमियम के बराबर राशि का अंशदान का प्रावधान किया गया है। यह योजना बड़ी सूझबूझ से तैयार की गयी है। मैं सफाई मजदूरों के कल्याण और भलाई के लिए कार्य करने वाली तमाम ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों से आग्रह करूंगा कि वे इस योजना के बारे में सफाई मजदूरों को जानकारी दें ताकि वे योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अपना पंजीकरण करा सकें।

(ग) आवास, शिक्षा, वित्तीय सहायता
और कौशल विकास योजनाएं

ग्रामीण विकास मंत्रालय की इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत नया मकान बनाने और कच्चे या जीर्णशीर्ण मकान की मरम्मत के लिए सहायता देने का प्रावधान है। पात्र परिवारों को इसके लिए 75,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इन्दिरा आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से मैला साफ करने वाले चिह्नित सफाई कर्मियों को



कूड़े से प्लास्टिक अलग करने में महिला सफाई कर्मियों की सहायता करते हुए प्रधानमंत्री

योजना के दायरे में लाने और उन्हें आवास सुविधा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, भले ही वे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में शामिल हों अथवा न हों। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत हमारी सरकार की 'सबको आवास' उपलब्ध कराने की नयी योजना का उद्देश्य नागरिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

सफाई का काम करने वाले और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की आशंका वाले कर्मियों के बच्चों को मैट्रिक- पूर्व छात्रवृत्ति देने की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के तहत हाथ से मैला साफ करने वालों, चमड़ा कमाने वालों और मरे जानवर की खाल उतारने वालों, कूड़ा बीनने वालों और जोखिम वाले सफाई के कार्य करने वालों के बच्चों को 10वीं कक्षां तक की पढ़ाई पूरी करने के लिए साल में 10 महीने तक 225 से 700 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति दी जाती है।

इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन.एस.के.एफ.

डी.सी.) देश भर में सफाई कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों और उनके आश्रितों के चहुंमुखी सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करने वाला शीर्ष निगम है। इसकी स्थापना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाले उपक्रम के रूप में 1997 में हुई। निगम उन्हें आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराता है ताकि वे समाज की मुख्यधारा के लोगों के साथ पूरी प्रतिष्ठा, सम्मान और गौरव के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। निगम रियायती ब्याज दर पर राज्यों की चैनलाइजिंग एजेंसियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे इसे आगे निगम के लक्षित समूहों को जारी कर सकें। निगम लक्षित समूह के पात्र सदस्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की ऐसी योजनाओं पर भी अमल करता है जो ऋण देने पर आधारित नहीं हैं। इनके अंतर्गत शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है ताकि वे अपनी क्षमताएं बढ़ाकर सर्वेतन रोज़गार प्राप्त कर सकें या

अपना कारोबार शुरू करके अपनी आमदानी के स्तर में बढ़ातरी कर सकें। इस तरह की योजनाओं का विवरण टेबल-1 में दिया गया है।

(घ) आयुष्मान भारत के माध्यम से सफाई कर्मियों का संरक्षण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाइ) माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शितापूर्ण नेतृत्व में सितंबर 2018 में शुरू की गयी एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सफाई कर्मियों की भलाई और उनकी गरिमा बहाल करने जबरदस्त क्षमता है। यह भी एक तथ्य है कि इनमें से ज्यादातर लोग गरीब और दुर्बल परिवारों के होते हैं। 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग और दुर्बल परिवार (करीब 50 करोड़ लाभार्थी) पी.एम.जे.ए.वाइ. के दायरे में आते हैं और इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की देखभाल और अस्पताल में भर्ती के जरिए होने वाले इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है। योजना में परिवार के

टेबल 1 : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की योजनाएं और कार्यक्रम

क्र.	योजना का नाम	अधिकारी परिवर्तन	साल तक	वित्त वर्ष	लाभार्थी	वर्ष वापसी की अवधि
क्र. योजना अधारित योजनाएँ						
1.	महिला सफाई योजना	30000 रु. तक	1 प्रतिशत वार्षिक	4 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष***	
2.	महिला अधिकारीता योजना	75000 रु. तक	2 प्रतिशत वार्षिक	5 प्रतिशत वार्षिक	5 वर्ष***	
3.	महिला खोजिट फाइनेंस	50000 रु. तक	2 प्रतिशत वार्षिक	5 प्रतिशत वार्षिक	3 वर्ष***	
4.	सामाजिक अधिकारी योजना	15 लाख रु. तक	3 प्रतिशत वार्षिक	6 प्रतिशत वार्षिक	10 वर्ष***	
5.	स्वच्छता संबंधी योजना-स्वच्छता से सम्बन्धित की ओर					
अ.	भूगतान करके इस्तेमाल उपकरणों सुविधा	25 लाख रु. तक	4 प्रतिशत वार्षिक*	4 प्रतिशत वार्षिक	10 वर्ष***	
अ.	स्वच्छता संबंधी उपकरणों को खरीद की योजना	15 लाख रु. तक	4 प्रतिशत वार्षिक*	4 प्रतिशत वार्षिक	10 वर्ष***	
6.	सेवीटरी मार्ट योजना	15 लाख रु. तक	4 प्रतिशत वार्षिक*	4 प्रतिशत वार्षिक	10 वर्ष***	
7.	शैक्षिक ऋण (प्रादृश्यक्रम की अधिकतम लागत)		1 प्रतिशत वार्षिक	4 प्रतिशत वार्षिक	5 माह	
	- भारत में अध्ययन के लिए	10 लाख रुपये			प्रादृश्यक्रम	
	- विदेश में अध्ययन के लिए	20 लाख रुपये			पूरा होने के बाद एक साल की लूट की अवधि के बाद	
	शैक्षिक ऋणों पर ब्याज (भारत में अध्ययन के लिए)					
	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना के अंतर्गत उन लाभार्थियों को लौटाया जा सकता है जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये वार्षिक तक है।					
8.	ग्रीन बिजनेस योजना	2 लाख रुपये तक	2 प्रतिशत वार्षिक	4 प्रतिशत वार्षिक	6 वर्ष***	

छोट : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)*

टिप्पणी: *महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की लूट और समय से कर्ज लौटाने पर 0.5 प्रतिशत की लूट।

महिला लाभार्थियों को 0.5 प्रतिशत की लूट के बाद। *3 महीने की क्रियान्वयन अवधि और ऋण वापसी पर 6 महीने की मोहलत।

****6 महीने की क्रियान्वयन अवधि और ऋण वापसी पर 6 महीने की मोहलत की अवधि समेत हाथ से मैला साफ करने वालों के मामले में 3.25 लाख रुपये तक की अधिकतम संविठ्ठी पे एंड यूज टॉपलेट, स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद और सेवीटरी मार्ट पर देने।

क्र.	विना ऋण वाली परियोजनाएं	
1.	कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों वाले अभ्यर्थियों को 1500 रुपये प्रति माह तथा हाथ से मैला ढोने वाले और उनके आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिए 3000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति, जो शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में है।
2.	रोजगार मेला	रोजगार मेला आयोजित करने पर प्रति मेला 50 हजार रुपये के व्यय का भुगतान
3.	जागरूकता कार्यक्रम	जागरूकता अभियान आयोजित करने पर 30 हजार रुपये प्रति आयोजन व्यय का भुगतान
4.	कार्यशालाएं	कार्यशाला आयोजित करने पर प्रति कार्यशाला 25 हजार रुपये का भुगतान

छोट : एनएसकेएफडीसी**

एनएसकेएफडीसी हाथ से मैला की सफाई करने वाले मजदूरों के पुनर्वास के लिए स्व रोज़गार योजना (एस.आर.एम.एस.) पर अमल करने वाले नोडल एजेंसी है। इसके लाभ संबंधी प्रमुख प्रावधान और इसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया संक्षेप में टेबल-2 में दी गयी है।

टेबल 2 : हाथ से मैला साफ करने वाले मजदूरों (एसआरएमएस) के लाभ संबंधी प्रावधान और 15.02.2017 तक क्रियान्वयन में प्रगति

क्र.	लाभ संबंधी प्रावधान	क्रियान्वयन प्रक्रिया
1.	हाथ से मैला साफ करने वाले चिह्नित व्यक्ति को प्रति परिवार 40,000 रुपये की एकबारी नकदी सहायता	हाथ से मैला साफ करने वाले 11,563 मजदूरों को सहायता जारी
2.	अधिकतम दो साल तक का कौशल विकास प्रशिक्षण 3,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड के साथ	13,390 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण सहायता दी गयी
3.	सतत विकास योजनाओं हेतु रियायती ब्याज दर पर आर्थिक ऋण इसमें अधिकतम 3.25 लाख रुपये का पूँजी अनुदान शामिल होगा	हाथ से मैला ढोने वाले एवं उनके आश्रितों हेतु 1233 स्व-रोजगार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

छोट <http://socialjustice.nic.in/writereaddata/uploadFile/NSKEDC636231983377426171.pdf>

योजना, नवम्बर 2019

सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इससे सफाई कर्मियों के इलाज पर अपनी जेव से होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और वे अपने पारिवारिक संसाधनों का उपयोग परिवार की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकेंगे। एक साल के छोटे से अरसे में ही पी.एम.जे. ए.वाई. ने 10,77,59,548 ई-कार्ड जारी किये हैं, 18,284 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है और 48,38,422 लोगों को फायदा दिलाया है। इससे पता चलता है कि सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्यक्रम (यू.एच.सी.) के दायरे में लाने के लिए भारत कितनी तेज रफ़तार से प्रगति कर रहा है।

आगे का रास्ता

हालांकि देश में स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने और सफाई कर्मियों की गरिमा बहाल करने की दिशा में बहुत कुछ हासिल किया जा चुका है, लेकिन अब भी काफी कार्य किया जाना चाही है। आगे की योजना के रूप में मैं निम्नलिखित पांच चरणों को ऐवांकित करना चाहूँगा।

‘इंडिया’ को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ‘भारत’ को साफ-सुथरा बनाने का। इसलिए खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा बनाए रखना जरूरी है ताकि ग्रामीण लोग फिर से खुले में शौच के पुराने तौर-तरीकों की ओर न लौटने लगें। इसके लिए हमें जिला और पंचायत स्तर पर

स्वच्छता की स्थिति की जांच के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली कायम करनी चाहिए।

हम लोग भले ही खुले में शौच से मुक्त हो गये हों, मगर देश कूड़े-करकट और कचरे से मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए हमें कूड़े-करकट को उपयोगी संसाधनों में बदलने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस दिशा में पहला कदम कूड़े-करकट की शत प्रतिशत छंटाई, उसका सफल निस्तारण और कूड़े-करकट के निस्तारण के लिए बुनियादी ढांचे को चुस्त-दुरस्त बनाना। इसके अलावा हमें लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए भी लगातार प्रयास करने होंगे। इसके लिए एकबारी इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए प्रशिक्षिण श्रमशक्ति का उपयोग करना चाहिए और इस तरह भारत को पूरी तरह कचरे और कूड़े-करकट से पूरी तरह मुक्त बनाना चाहिए।

हाथ से मैला उठाने पर पांचदी के बावजूद समय-समय पर इसके अब भी मौजूद होने का पता चलता है। इस मुद्दे को हल करने में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हाथ से मैला उठाने से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए सभी हितधारियों को इसे बढ़ावा देना चाहिए।

समयबद्ध योजना के तहत अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले सफाई मजदूरों की जल्द से जल्द पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने की दिशा में गंभीरतापूर्वक

और ईमानदारी से अमल होना चाहिए। इसके लिए काफी बड़े पैमाने और मिशन मोड में विभिन्न कल्याणकारी और आमदनी बढ़ाने वाले कार्यक्रम शुरू किये जाने चाहिए।

मैं मजदूर संगठनों, नियोक्ता संघों और इसी तरह की अन्य एसोसिएशनों/संगठनों से अपील करता हूं कि वे सफाई कर्मियों के मुद्दों, उनकी आवश्यकताओं और जरूरतों से संबंधित मुद्दे उठाएं और इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर कार्य करें क्योंकि एकजुट होकर काम करने से स्वच्छता कर्मियों को मुख्यधारा में लाने और उनकी गरिमा बहाल करने में मदद मिल सकती है। □

संदर्भ

1. इन यर्वदा मंदिर, पृ. 35-37, 1957 संस्करण
2. <http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/the-sanitation-economy/the-new-economy-set-to-tackle-sdg-6-2/>
3. https://www.toiletboard.org/media/38-The_Sanitation_Economy_in_India.pdf
4. <https://www.cprindia.org/policy-challenge/7898/inclusive-citizenship>
5. <https://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx>
6. <https://www.orfonline.org/research/swachh-bharat-mission-achievements/challenges/>
7. 7 अक्टूबर, 2019 को
8. विवरण के लिए कृपया देखें <http://socialjustice.nic.in/SchemeList/Send/24?mid=k24541> 7 अक्टूबर, 2019 को।
9. <http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NSKFDC636231983377426171.pdf> 7 अक्टूबर, 2019 को देखने पर।
10. <http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/NSKFDC636231983377426171.pdf>

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	‘ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिंकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फस्ट फ्लोर, ‘एफ विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	पीआईवी, अखंडानंदहॉल, तल-2, मदर टेस्सा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079-26588669

लोक नीति

परमेश्वरन अच्युत

चार 'पी' अर्थात् पॉलिटिकल लीडरशिप (राजनीतिक नेतृत्व), पब्लिक फिनान्स (सार्वजनिक वित्तपोषण), पार्टनरशिप (साझेदारी) और पीपल्स पार्टिसिपेशन (लोगों की भागीदारी) की बदौलत स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) पर कार्यनीतिक ध्यान केंद्रित किया जा सका और प्रशासनिक उपायों के कारण जमीनी स्तर पर इसका कुशल कार्यान्वयन संभव हो पाया। यह कार्यक्रम युवा व्यवसायियों और अनुभवी एवं प्रेरक नौकरशाहों के बेजोड़ तालमेल से आगे बढ़ा और हर कोई लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध हो गया।

2

अक्टूबर, 2019 को बापू की 150वीं जयंती के अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र ने खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) भारत महात्मा गांधी को समर्पित किया, ऐसे में इस बात का विश्लेषण करने के लिए यह उपयुक्त समय है कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन भागीदारी और परिवर्तनकारी विकास के लिए वैश्विक मानदंड बन गया।

महात्मा गांधी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां किसी को भी खुले में शौच करने का अपमान न झेलना पડ़े। पिछले पांच वर्षों में स्वच्छता के क्षेत्र में देश का जो कायाकल्प हुआ है, वह गांधी जी के प्रति उत्कृष्ट श्रद्धांजलि है। भारत, जहां खुले में शौच जाने वालों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक थी, वह आज स्वच्छता के मामले में विश्व की अगुवाई कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़ने और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश की। आज हम जो स्वच्छता क्रांति देख रहे हैं वह उन्हीं के प्रेरणादायक नेतृत्व का नतीजा है। दुनिया इसे पहचानती है, और ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार, जो श्री नरेन्द्र मोदी को उनकी हालिया अमरीका की यात्रा के दौरान दिया गया था, भारत के विकास के एजेंडे के केंद्र में स्वच्छता को मामने रखने के उनके फैसले को दर्शाता है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) टीम ने पिछले पांच वर्षों में भारत की स्वच्छता क्रांति के चार महत्वपूर्ण स्तंभों की

पहचान की है, जो कुल मिलाकर, दुनिया में किसी भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए लागू हो सकते हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'स्वच्छ भारत क्रांति' नामक निवंधों के एक हालिया संकलन में भी, विस्तृत रूप में, चार 'पी' संरचना का पालन किया गया है, जो प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सफल यात्रा का द्योतक है।

पहला 'पी' पॉलिटिकल लीडरशिप अर्थात् राजनीतिक नेतृत्व से संबद्ध है। यह संभवतः 'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण' के लिए सबसे बड़ा 'गेम-चेंजर' है, जिसके अंतर्गत इस मिशन में स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। उनके नेतृत्व और प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने इस अभियान में योगदान किया, जिसका व्यापक असर दिखायी दिया। इसका प्रपाती प्रभाव मुख्य सचिव और कलेक्टरों से लेकर जमीनी स्तर पर सरपंचों तक पहुंचा। सभी स्तरों पर



लेखक पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: param.iyer@gov.in

नेता बड़े पैमाने पर परिवर्तन के प्रमुख उत्प्रेरक बन गए।

दूसरा 'पी' पब्लिक फाइनेंसिंग अर्थात् सरकारी वित्तपोषण से संबद्ध है। आमतौर पर, कोई भी बड़ा परिवर्तन बिना धन के संभव नहीं है। स्वच्छता सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिससे राजनीतिक इच्छाशक्ति को बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ। जिन 10 करोड़ परिवारों को शौचालय प्रदान किए गए उनमें से लगभग 90 प्रतिशत सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के थे और उन्हें शौचालय बनाने और उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इस अभियान के तीसरे 'पी' यानी पार्टनरशिप का संबंध जन-साझेदारी के साथ है। एसबीएम-जी में कार्यान्वयन कर्ताओं और प्रेरकों दोनों के बीच साझेदारी पर बल दिया गया, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विकास एजेंसियां, मीडिया घराने, सभ्य समाज, प्रसिद्ध व्यक्ति और भारत सरकार के सभी विभाग/मंत्रालय शामिल थे, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में 6 अरब डालर की अतिरिक्त व्यवस्था की। सभी के सहयोग की इस नीति ने स्वच्छता को हर किसी का लक्ष्य बना दिया, जिससे यह अभियान राष्ट्रीय चेतना का मुख्य हिस्सा बन गया।

चौथा 'पी' यानी पीपल्स पार्टिसिपेशन अर्थात् जन-भागीदारी से संबद्ध है। एसबीएम-



जी ने पांच लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों, जमीनी स्तर के प्रेरकों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने भारत के प्रत्येक गांव में व्यवहार परिवर्तन को गति दी। साधारण लोगों ने असाधारण भूमिकाएं निभाई और दूसरों को शौचालय बनाने और उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। देश के हर नुक़्કड़ से स्वच्छता चैम्पियनों की सफलता की कहानियां सामने आयीं। बड़े पैमाने पर परिवर्तन बास्तव में सफल हो सकता है यदि यह लोगों की कल्पना में समाहित हो और इस तरह यह एक जन आंदोलन बन जाता है।

हालांकि इन चार स्थानों ने एसबीएम-जी को अपना रणनीतिक फोकस प्रदान किया, प्रशासनिक उपायों ने कुशल जमीनी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया, जो परंपरागत रूप से भारत में बड़े कार्यक्रमों का आधार रहा है। इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2019 का लक्ष्य तय करते हुए की थी। यह लक्ष्य तय करने से तात्कालिकता और जबाबदेही की भावना पैदा हुई। समय सीमा ने राज्यों को एसबीएम-जी को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया और टीम एसबीएम-जी को उन संभावनाओं की कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जो उन्होंने अन्यथा नहीं की होगी।

अगला महत्वपूर्ण कदम उन लोगों की एक टीम का निर्माण करना था जो मानते थे कि लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है। नए दृष्टिकोण और कम प्रशासनिक क्षमता वाले युवाओं का यह मानना था कि रखनात्मक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाये तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एसबीएम-जी युवा व्यवसायियों और अनुभवी एवं प्रेरक

गैरकरशाहों के बेजोड़ तालमेल से आगे बढ़ा और हर कोई लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध हो गया।

डिजाइन प्रक्रिया के दौरान स्कैलेबिलिटी के बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण था। विभाग ने उन समाधानों को तैयार करने का प्रयास किया, जो ग्रामीण भारत के लिए ऑन-साइट ट्रिबन-पिट टॉयलेट सिस्टम की तरह लागू करना आसान हो, क्योंकि महंगे नेटवर्क समाधानों का विरोध किया गया। डिजाइन द्वारा राज्यों और कार्यान्वयन कर्ताओं को लाचीलापन प्रदान करके, मिशन ने उन्हें स्थानीय संदर्भों के लिए उपयुक्त समाधान की अनुमति दी।

मिशन के लिए कुछ त्वरित सफलताएं प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण था ताकि प्रशासनिक प्रणाली में विश्वास पैदा किया जा सके। आसानी से हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर पहले ध्यान केंद्रित किया गया—अर्थात्



स्थानीय स्वच्छता कार्यों वाले ऐसे जिलों को प्राथमिकता दी गई जिन्हें ओडीएफ यांत्र यूनियन में शौच जाने से मुक्त बनाना मंजूर था। इसमें अन्य लोगों के सीखने के लिए एक प्रामाणिक प्रभाव और व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ कि प्रयासों से सफलता प्राप्त करना असंभव नहीं है।

कार्यान्वयन कर्ताओं के साथ निरंतर जुड़ाव ने मिशन को चुम्बन दिया। टीम एसबीएम-जी ने प्रत्येक गांव में कई बार दौरा किया और कार्यशालाओं, अनौपचारिक समारोहों और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ सीधे संपर्क किया, जिससे स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने वाले कार्यान्वयन कर्ताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला।

एसबीएम-जी ने स्वच्छता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए मीडिया के साथ व्यापक रूप से जुड़कर, लोकप्रिय संस्कृति का लाभ उठाते हुए और बॉलीवुड सितारों, खिलाड़ियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के साथ स्वच्छता को महिमा मंडित किया। और अंत में, मिशन ने अपने समूचे कार्यकाल के दौरान सफलताओं के महत्वपूर्ण पड़ावों पर प्रधानमंत्री के साथ नियमित रूप से, बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से अपनी जीवंतता बनाए रखी। इससे स्वच्छता को सार्वजनिक जीवन में शीर्ष पर बनाए रखने में मदद मिली।

फिर भी सभी कुछ हासिल नहीं कर लिया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने हाल ही में ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में स्थानांतरित होने के लिए 10 साल की स्वच्छता रणनीति जारी की है, जिसमें एसबीएम-जी के लाभों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि कोई भी छूट न जाए, और सभी गांवों की पहुंच ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन तक सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अगला महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अगले पांच वर्षों के लिए मिशन मोड में कार्यक्रम के साथ, यह एसबीएम-जी के स्थिरता प्रयासों में यह एक और मील का पत्थर होगा।

जाहिर है, भारत ने वह हासिल किया है जो कुछ साल पहले अकल्पनीय था, लेकिन यह सफर जारी रहना चाहिए। □



गांव-स्वच्छ भारत अभियान का मूल

सुजाँय मजूमदार
स्वाति मंचिकांति

“हम लोगों पर अपनी बात थोपकर विकास से जुड़ी दीर्घकालिक जीत हासिल नहीं कर सकते। समुदायों द्वारा इसे खुद से सहजता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ते हुए और इसे लोगों की रोजमरा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बनाए जाने पर ही इस दिशा में सफलता संभव है।”

— हेनरिएटा एच फोर,
यूनीसेफ के कार्यकारी निदेशक की
'स्वच्छ भारत आंदोलन' पुस्तक से उद्धृत

स्वच्छता कार्यक्रमों का इतिहास

आजादी के वक्त से ही भारत में व्यापक स्तर पर स्वच्छता की मौजूदगी का अभाव रहा है। यहां तक कि जब पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य सूचकांकों में प्रगति देखने को मिल रही थी, उस वक्त भी स्वच्छता का ग्राफ सुस्त गति से बढ़ रहा था। उस वक्त खुले में शौच के बुरे परिणामों को लेकर व्यापक स्तर पर स्वीकार्यता थी, लेकिन कई लोगों का मानना था कि सामाजिक परंपराओं, सामाजिक स्तर पर पदानुक्रम और लैंगिक वंदिशों जैसी ढांचागत चीजों का असर भी स्वच्छता संबंधी आदतों और स्वच्छता से जुड़े निजी निवेश पर पड़ा था। कहने का मतलब यह है कि 1970 और 80 के दशक में जब राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान से जुड़ने की रफ्तार तेज थी, उस वक्त स्वच्छता कवरेज की औसत विकास दर 1 प्रतिशत सालाना थी। इस दर के लिहाज से बात करें, तो भारत को संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करने

में साल 2080 तक का समय लगता। वह भी तब, जब जनसंख्या में और बढ़ोत्तरी नहीं हो।

बहरहाल, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत सरकार ने स्वच्छता कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया। भारत ने 1946 में न्यूयॉर्क में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन को अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के सहयोग से पोषण, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन, आर्थिक हालात व पर्यावरण स्वच्छता के अन्य पहलुओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने का अधिकार दिया गया था। भारत ने सैद्धांतिक तौर पर 1977 में हुए संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन के प्रस्तावों का भी समर्थन किया था, जिसमें सभी सदस्य देशों को सुझाव दिया गया था कि वे सामुदायिक जल-आपूर्ति और स्वच्छता अभियान के लिए आवश्यकता और प्रभावित आबादी के अनुपात में फंड का आवंटन करें। भारत ने 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पानी और स्वच्छता को मानवाधिकार से जोड़ने संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, इनमें से कुछ वादों और समझौतों को बाद में संसद ने हरी झंडी नहीं दी, लेकिन इससे स्वच्छता को नियमित विमर्श का हिस्सा बनाने में मदद मिली।

स्वच्छता से जुड़ा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य और सतत विकास के मौजूदा लक्ष्यों (खास तौर पर एसडीजे 6) का मकसद इसी तरह का महत्वाकांक्षी ढांचा मुहैया करना है, जिसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल किया है। गैरतलब है कि एसडीजे 6 का मकसद सब के लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न सरकारें पिछले 35 साल से कार्यक्रम

चला रही हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) और इसके पुनर्गठित स्वरूप, समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) को क्रमशः 1986 और 1999 में लागू किया गया। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे। हालांकि, ये कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर अमल पर निर्भर थे। समग्र स्वच्छता अभियान के तहत समुदाय आधारित गोलबंदी और शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन पर फोकस रहा। हालांकि, इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के बाद पाया गया कि टीएससी ने काफी बड़े लक्ष्य तय किए और सीमित फंडिंग के कारण ये लक्ष्य बिखर गए। इसके अलावा, केंद्र और राज्यों के स्तर पर उस वक्त के बाकी सामाजिक कार्यक्रमों की तुलना में इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता और सक्रियता कम थी। कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के मकसद से क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए केंद्रों की स्थापना की गई, लेकिन आखिरकार जरूरी मानव संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

ऐसा ही एक और कार्यक्रम 'निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005' में शुरू किया गया, लेकिन इसके परिणाम भी काफी अच्छे नहीं रहे। हालांकि, इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों (खुले में शौच से मुक्त होने वाले पंचायत) को वित्तीय पुरस्कार देने का भी ऐलान किया था। इस कार्यक्रम के बाद 2012 में हर घर के लिए बड़ी वित्तीय प्रोत्साहन राशि (10,000 रुपये) के साथ निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया। यह कार्यक्रम फंडिंग के साधनों के लिए मनरेगा और संबंधित योजनाओं पर निर्भर था। निर्मल भारत अभियान में जिला स्तर पर समिलन पर



उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ग्राम पंचायत की अगुवाई में स्वच्छता रैली

ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन फेंड जुटाने में दिक्कत, राज्य और जिला प्रमुखों की प्राथमिकता सूची में इसका नहीं होना और सुव्यवस्थित सूचना प्रणाली की कमी से यह भी रफ्तार नहीं पकड़ सका।

स्वच्छ भारत अभियान तैयार करने में ये सबक रहे कारगर

कुछ स्वतंत्र आकलनों के जरिये पता चला कि सरकार द्वारा सिर्फ शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किए जाने से खुले में शौच की समस्या बनी रही। यहां तक कि जिनके यहां शौचालय बने, वे भी खुले में ही शौच कर रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि टीएससी जैसे पुराने अभियान में सूचना, शिक्षा और संचार के लिए बजट का प्रावधान तो किया गया, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ। लिहाजा, फोकस सिर्फ शौचालयों के निर्माण पर रहा और लोगों के व्यवहार में बदलाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, सामाजिक कार्यक्रमों में व्यवहार संबंधी बदलाव को शामिल करने से संबंधित लोगों तक सीधा संदेश पहुंचता और यह ज्यादा प्रभावकारी होता है। यह बेहतर परिणामों के लिए स्थानीय समुदाय के महत्व को भी रेखांकित करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए इसमें जन आंदोलन के महत्व पर जोर दिया। यह अभियान आखिर में स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण बन गया।

साल 2014 में तैयार स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों में इस

तरह के पिछले प्रयासों से सीधे गए सबक को भी शामिल किया गया। संबंधित मसौदे में ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर खुले में शौच से मुक्ति के लिए योजना बनाने का भी अधिकार दिया गया। ग्राम पंचायतों को व्यवहार संबंधी बदलाव के लिए प्रेरित करने की खातिर भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, इन सब के लिए खास तौर पर फेंड के आवंटन की भी बात कही गई। मांग और आपूर्ति के असंतुलन को दूर करने के लिए ग्राम पंचायतों को स्थानीय प्रशिक्षित राजमिस्त्री के साथ काम करने को कहा गया, ताकि शौचालयों के निर्माण से जुड़ी मांग को पूरा किया जा सके। अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों को कोई भी फेंड इस्तेमाल करने को कहा गया। इसके तहत सफाई संबंधी सेवाओं के लिए 14वें वित्त आयोग के आवंटन का भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का ढांचा इस तरह से तैयार किया गया, जिसमें कार्यान्वयन के स्तर पर ज्यादा स्वतंत्रता थी। इसमें कुछ अन्य बातें भी शामिल थीं:

- पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री द्वारा मजबूत सार्वजनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन।
- पर्याप्त फंडिंग, जिसके जरिये 10 करोड़ घरों को जरूरी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया (तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपये)।
- अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए जरूरी गतिविधियों को अंजाम देने के

मकसद से जिला स्तर पर सहृदयिता। इसके तहत रचनात्मक और स्थानीय स्तर पर जरूरी पहल की डिजाइन दी गई, खास तौर पर समुदायों को बड़े पैमाने पर गोलबंद करने के मकसद से व्यवहार संबंधी बदलाव से जुड़ा अभियान।

- हार्डवेयर (शौचालयों के निर्माण आदि) में वित्तीय निवेश का अनुपात बेहतर करना, जबकि सामुदायिक स्तर पर परिणाम हासिल करने के मकसद से सॉफ्टवेयर (व्यवहार संबंधी बदलाव के प्रचार-प्रसार) में जबरदस्त निवेश।
- स्वच्छता प्रक्रिया में सामुदायिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करना, इससे भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आई, मसलन खुले में शौच की परंपरा को लेकर घृणा।
- कार्यक्रम में महिलाओं की अगुवाई वाले घरों और अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्राथमिकता दी गई। उनका विशेष तौर पर जिक्र किया गया और संबंधित दिशा-निर्देशों में प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया।

इसके साथ ही, पंचायती राज मंत्रालय ने सेवाएं मुहैया कराने की ग्राम पंचायतों की क्षमता को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण के लक्ष्य भी शामिल थे। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में पेय जल और स्वच्छता को पंचायत राज संस्थानों (ग्राम पंचायत समेत) की जिम्मेदारी बताई गई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी इस मोर्चे पर महत्वपूर्ण काम किए गए। पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2018 के जरिये यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि स्वच्छता संबंधी निवेश और अन्य पहल को मौजूदा बजटीय प्रावधानों से जोड़ा जाए।

हालांकि, कई प्रयास तय लक्ष्यों से पीछे छूट जाते हैं। केंद्रीय मंत्रालयों (खास तौर पर पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय) द्वारा कई सलाह जारी की गई, लेकिन ग्राम पंचायतों की सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि किन-किन राज्यों ने कार्यक्रमों में मिली

सहूलियतों का इस्तेमाल किया गया। ग्राम पंचायत शुरू में परिवारों के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे और पंचायतों के जरिये शौचालयों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा था और राजमिस्त्री और स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। हालांकि, धीरे-धीरे पंचायतों की भूमिका कम होती गई और राज्यों के स्तर पर विभागों को सीधा परिवारों से संपर्क करना ज्यादा आसान लगा। लिहाजा, आमतौर पर ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रत्यक्ष दायरे में नहीं रखा गया।

ग्राम पंचायतों की भूमिका

पिछले कार्यक्रमों के मुकाबले स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में निवेश का फायदा देखने को मिला। इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों के लिए अपने स्थानीय नेताओं द्वारा जारी निर्देशों को समझना ज्यादा आसान था। देश को बदलने से जुड़े प्रयासों में इस पहलू को शामिल किया गया है। हाल में 10 करोड़ परिवारों तक स्वच्छता को पहुंचाने के लक्ष्य से लेकर कार्यक्रम के अगले चरण की अवधि के दौरान स्थानीय पंचायत की भूमिका पर जोर दिया गया। नए चरण में न सिर्फ उन घरों तक पहुंचने की जरूरत है, जहां शौचालय नहीं है, बल्कि इसमें मौजूदा शौचालयों के रखरखाव और उसे सुरक्षित बनाए रखने और परिवार के सभी सदस्यों द्वारा इसके इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए व्यवहार संबंधी बदलाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने की खातिर निवेश जारी रखने और स्वच्छता के अगले चरण में निवेश में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है। अतः साल 2018 में सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देश 2018 में संशोधन किया। इसमें विशेष तौर पर कहा गया कि 'स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, पेय जल को राज्य स्तर पर संशोधित ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी दिशा-निर्देश में प्राथमिकता देने की जरूरत है।'

नया चरण शुरू करने के मकसद से सरकार ने सितंबर 2019 में 10 साल के लिए ग्रामीण स्वच्छता रणनीति का मसौदा जारी किया। इसमें स्वच्छता का बेहतर स्तर बनाए रखने और इसमें और बढ़ोत्तरी के लिए 2029 तक उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया



तमिलनाडु के कांचीपुरम में राजमिस्त्री दोहरे गड्ढे वाले शौचालय के निर्माण में जुटे हैं। स्वच्छता सुविधाओं की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त यानव संसाधन जुटाने के लिए राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण जरूरी है।

गया है। इस रणनीति का मकसद खुले में शौच से मुक्ति के सिलसिले को बनाए रखने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों; नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को नियोजन के लिए दिशा-निर्देश मुहैया कराना है। रणनीति के मुताबिक, खुले में शौच से मुक्ति के सिलसिले को बनाए रखना और हर गांव के पास ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधा सुनिश्चित करना है। भारत इस दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजे)-6, खासतौर पर 6.2 का लक्ष्य हासिल करने के लिए यह जरूरी है। एसडीजे 6.2 के लक्ष्य के मुताबिक, साल 2030 तक सबको पर्याप्त और बराबर स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना, खुले में शौच के चलन को खत्म करना, महिलाओं, लड़कियों और अन्य वर्चितों पर विशेष ध्यान देना शामिल हैं।

इन कार्यक्रमों का मकसद स्वच्छ भारत ग्रामीण की उपलब्धियों को बरकार रखना, देश के सभी गांववासियों के लिए स्वच्छता का सुरक्षित प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन के जरिये साफ-सुथरा पर्यावरण का लक्ष्य हासिल करना है।

नई प्रणाली में ग्राम पंचायतों को रणनीतिक तौर पर गांवों में हो रहे ठोस और तरल कचरा प्रबंधन संबंधी प्रयासों के केंद्र में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि निर्णय हमेशा यथासंभव निचले स्तर पर लिए

जाने चाहिए, जहां वे ज्यादा प्रभावी होंगे। 'विकेंट्रीकृत शासन प्रणाली और संस्थागत ढांचा' अध्याय में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में कहा गया है। इसमें स्वच्छाग्रहियों के उन्नयन और प्रशिक्षण की भी बात कही गई है, ताकि वे पानी और स्वच्छता को लेकर अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में जान सकें और जरूरी सेवाओं के लिए प्रबंधन प्रणाली तैयार कर सकें। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से सभी संबंधित पक्ष अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को थोड़ी-थोड़ी जिम्मेदारी बांटकर निवेश और काम को रफ्तार दे सकते हैं। सभी पक्षों को नियमित रूप से एक-दूसरे से संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें विकास की प्रक्रिया से जुड़े साझीदारों मसलन निजी क्षेत्र, सिविल सोसाइटी संगठनों और अकादमिक संस्थानों को जरूरत के हिसाब से शामिल करना चाहिए।

शहरी क्षेत्र भले कचरा ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम हैं, लेकिन ग्रामीण समुदायों को स्थानीय स्तर पर टिकाऊ विकल्पों को पेश करना होगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर बेहतर ढंग से काम कर सकें। कचरा प्रबंधन और संसाधनों की रीसाइक्लिंग संबंधी कोशिशों के लिए यही बात लागू होती है। इसमें ठोस कचरा प्रबंधन का मामला भी शामिल है। इसके अलावा, प्रधान/सरपंच, स्वच्छाग्रही और जमीनी स्तर अन्य

साफ पानी और स्वच्छता

पानी की किल्लत 40 प्रतिशत से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तापमान में बढ़ोत्तरी के साथ इस भव्यावह आंकड़े में भी बढ़ोत्तरी के आसार हैं। हालांकि, 1990 के बाद से 2.1 अरब लोगों ने पानी की स्वच्छता में सुधार किया है, लेकिन हर महाद्वीप में पीने के पानी की आपूर्ति कम हो रही है। कई देशों में पानी का संकट बढ़ रहा है और सूखे जैसी स्थिति का सिलसिला तेज होने से हालात और खराब हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, साल 2050 तक चार में से कम से कम एक आदमी को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।

साल 2030 तक सब के लिए सुरक्षित और सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए हमें जरूरी आधारभूत संरचना में निवेश करना होगा, स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करानी होंगी और बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होगा। जल से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और उसकी बहाली जरूरी है।

सब के लिए सुरक्षित और सस्ता पीने का पानी सुनिश्चित करने का मतलब उन 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, जिनके पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। साथ ही, 2 अरब से भी ज्यादा लोगों की सेवाओं को सुरक्षित और बेहतर बनाना होगा।

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र

अहम लोगों की भूमिका और उनके प्रभाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सेवाओं को प्रासारिक, असरदार और टिकाऊ बनाने के लिए उनसे जुड़ी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही, यह समुदाय से जुड़े नेताओं की पूरी तरह से जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद 2024 तक सभी घरों में पीने का पानी मुहैया करना है। स्वच्छता कार्यक्रम से जल आपूर्ति अभियान को जोड़ना आवश्यक है। इससे पानी के संसाधन सुरक्षित रह सकेंगे और स्वच्छता सेवाएं भी जारी रहेंगी। जिला और राज्य स्तर के नेता मौखिक रूप से समिलन की वकालत कर सकते हैं, लेकिन असली कोशिश ग्राम पंचायतों को ही करनी होगी, जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के तहत फंड और बाकी चीजें मुहैया कराई जाती हैं।

आगे की राह

नई रणनीति के तहत तय फॉर्मूले को लागू करने के लिए सरकार (जल शक्ति मंत्रालय) पहले ही व्यावहारिक कदम उठा चुका है। ये कदम स्वच्छ भारत मिशन की मौजूदा रणनीति से ओडीएफ प्लस की तरफ बढ़ने के दौरान उठाए गए हैं। यूनिसेफ की मदद से इस साल सितंबर से केंद्र सरकार देश के सभी ग्रामीण इलाकों में पानी की आपूर्ति और स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू कर रही है। इसके तहत हर ग्राम पंचायत के प्रधान समेत पंचायत के उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर दिया गया है। इस अभियान का मकसद प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण मॉडल का इस्तेमाल कर तकरीबन अगले साल 2,58,000 ग्राम पंचायतों तक (तकरीबन 7,74,000 व्यक्ति) पहुंचना है। केंद्र सरकार और यूनिसेफ राज्य और जिला स्तर पर बेहतर प्रशिक्षक तैयार

ओडीएफ प्लस (खुले में शौच से मुक्ति का सिलसिला बनाए रखना): इन चीजों पर रहेगा ज़ोर

- घरों में मौजूद निजी शौचालयों का नियमित इस्तेमाल
- नए घरों को स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना कि कोई शौचालय की सुविधा से वंचित न रहे
- सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता (सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के जरिये)
- कंपोस्ट गड्ढा समेत ग्रामीण इलाकों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) का क्रियान्वयन
- साफ-सफाई और ठोस व तरल कचरा प्रबंधन।

करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रशिक्षक तमाम गल्वानियों में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।

प्रशिक्षण में रणनीतिक ढांचे को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए व्यावहारिक गतिविधियों पर जोर दिया गया है। प्रतिनिधियों को हर तरह के सत्र में बुलाये जाने की बात है, मसलन मौजूदा जल संसाधनों के प्रबंधन से लेकर कचरा प्रबंधन से जुड़ी जानकारी वाले व्याख्यानों तक, तमाम आयोजनों में उन्हें बुलाया जाता है। साथ ही, यह भी बताया जाता है कि स्वच्छाग्रहियों, राजमिस्त्री और अन्य स्थानीय समूहों को जोड़कर किस तरह से स्वच्छता चक्र के अगले अभियान को कैसे बढ़ावा दिया जाए। सफाई के संदेश को भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाता है (साबुन से हाथ धोना आदि)। कम खर्च वाली यह आदत काफी हद तक डायरिया जैसी बामारियों का बोझ कम कर सकती है।

हमें इन प्रयासों के परिणाम का इंतजार है और इससे यह भी पता चलेगा कि भारत सरकार के अगले चरण के अभियान में ये प्रयास किस तरह से योगदान करेंगे। हालांकि, अभी भी कई चीजें सीखना बाकी है, मसलन मासिक धर्म से जुड़े कचरे का प्रबंधन, बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान और गड्ढे वाले शौचालयों को टिकाऊ और काम के लायक बनाने के लिए उनमें नई सुविधाएं जोड़ना। इन समस्याओं से असरदार ढंग से तभी निपटा जा सकता है, जब ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएं और इस स्तर पर नेतृत्व को सक्रिय किया जाए। दरअसल, लोगों की जिंदगी में दीर्घकालिक बदलाव लाने की ताकत उनके पास ही है। □

संदर्भ

- https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
- <https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77&161.6.pdf>
- <https://www.centreforpublicimpact.org/case&study/total&sanitation&campaign&india/>
- <https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-017-4382-9>
- <https://www.povertyactionlab.org/evaluation/effect&indias&total&sani-tation&campaign&defecation&behaviors&and&child&health&rural>
- Ibid] (2)
- <http://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2011/04/TSC.pdf>
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/subsidiarity>



व्यवहार में स्थाई बदलाव जरूरी

सास्वत नारायण विश्वास
इंद्रानील डे
ज्ञानमुद्रा

स्वच्छ भारत मिशन समूचे समुदाय के सामूहिक व्यवहार विषयक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। शौचालयों के निर्माण मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि ग्रामीण आबादी नियमित आधार पर शौचालयों का इस्तेमाल करेगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यवहार विषयक घटक हैं, जो शौचालयों के इस्तेमाल में बाधक हैं। व्यवहार विषयक बदलाव के अधिकतर कार्यक्रमों में यह देखा गया है कि कुछ समय पश्चात शौचालयों के इस्तेमालकर्ता फिर से खुले में शौच जाने की पुरानी प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं, जिससे इस कार्यक्रम का प्रयोजन विफल हो जाता है।



च्छ भारत मिशन (एसबीएम) के रूप में देश में शौचालयों के निर्माण में एक मूक क्रांति आई है। इस आंदोलन की शुरुआत 02 अक्टूबर, 2014 को हुई थी, जिसके बाद से 02 अक्टूबर, 2019 तक 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इन व्यापक प्रयासों की वजह से देश के करीब 700 जिलों में लगभग 6 लाख गांवों को खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित किया गया।¹ पूर्ववर्ती अन्य सभी कार्यक्रमों की तुलना में एसबीएम की एक बड़ी खासियत यह रही है कि इसका स्वरूप मांग-संचालित है, जिसमें प्राथमिक लक्ष्य व्यवहार विषयक बदलाव रहा है, जिसकी परिणति शौचालयों के निर्माण की मांग सुजित होने के साथ ही शौचालयों के उपयोग में बढ़ोतरी के रूप में होती है।

व्यवहार विषयक बदलाव के अधिकतर कार्यक्रमों में यह देखा गया है कि कुछ समय पश्चात शौचालयों के इस्तेमालकर्ता फिर से खुले में शौच जाने की पुरानी प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं, जिससे इस कार्यक्रम का प्रयोजन विफल हो जाता है। इस अध्ययन का आंशिक लक्ष्य शौचालयों के निर्माण के बाद उनका

उपयोग करने और उपयोगकर्ताओं के फिर से पुराने ढर्हे पर लौट आने अथवा निर्मित शौचालयों का उपयोग न करने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना था। इस प्रकार शौचालयों के निर्माण मात्र से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि ग्रामीण आबादी नियमित

आधार पर शौचालयों का इस्तेमाल करेगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यवहार विषयक घटक हैं, जो शौचालयों के इस्तेमाल में बाधक हैं। अनेक लोगों के लिए खुले में शौच जाना प्रातः भ्रमण, फसलों की देखरेख और सामाजिक मेल-मिलाप का एक हिस्सा



डॉ. सास्वत नारायण विश्वास सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एवं लोकल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (इरमा), आणंद के चेयरमैन एवं प्रोफेसर हैं। ईमेल: saswata@irma.ac.in
डॉ. इन्द्रानील डे इरमा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: indranil@irma.ac.in,
डॉ. ज्ञानमुद्रा सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, पॉलिसी एनालिसिस तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। ईमेल: drgmudra@yahoo.com

होता है (नील, बुजसिक, बर्न्स, चुड और डिवाइन 2015:10)। महिलाओं के मामले में अंधेरे में खुले में शौच के लिए बाहर जाना, परिवार के बड़े सदस्यों, विशेष रूप से पति और सास-ससुर की निगरानी से इतर अन्य महिलाओं के साथ खुल कर मिलने का दिन में एकमात्र अवसर हो सकता है।

व्यवहार विषयक घटकों के अलावा, यह देखा गया है कि शौचालय का डिजाइन, स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता, पानी की व्यवस्था और राजनीतिक या सामाजिक नेतृत्व जैसे कारक निर्माण की मांग में बढ़ोतरी और शौचालयों के इस्तेमाल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं (ओ. रेती और लुई)। परंतु, अनेक गांव सजातीय नहीं होते हैं और जाति तथा धर्म के आधार पर विभाजित होते हैं। समूचा गांव सजातीय होने की स्थिति में उसमें व्यवहार विषयक सामूहिक बदलाव लाना आसान होता है, लेकिन अधिक संघर्ष होने की स्थिति में इसमें कठिनाई आती है (गुप्ता, कोफे और स्पियर्स)। इन्हाँ ही नहीं, पवित्रता और प्रदूषण की जाति आधारित धारणा ऐसे गड्ढा शौचालयों के निर्माण में कठिनाई पैदा करती है, जिन्हें भविष्य में खाली करने की आवश्यकता हो। इस प्रकार शौचालयों को अपनाना हमेशा जल या शौचालयों की उपस्थिति अथवा अभाव से सम्बद्ध नहीं होता है, बल्कि 'सामाजिक निर्धारक' और सामाजिक विश्वास परंपरागत धारणाओं को प्रबलित करते हैं।

भारतीय समाज में विविधता के कारण व्यवहार विषयक बदलाव की चुनौती अक्सर बढ़ जाती है, और इसीलिए अधिक संदर्भगत समझ आवश्यक होती है। तथ्य यह है कि स्थानीय जानकारी पर विचार किए बिना स्वच्छता अभियान निष्फल गतिविधियों में बदल जाता है। इस पृष्ठभूमि में हमने उन प्रमुख कारकों (सामाजिक, भौतिक और व्यवहार विषयक) का पता लगाने और विश्लेषण करने का प्रयास किया, जो लोगों में खुले में शौच न जाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं और शौचालयों के निर्माण और व्यवहार विषयक बदलाव के लिए सूचना, शिक्षा, संचार (आईसी) जैसे कारगर तत्वों को निष्फल कर देते हैं। इसके अतिरिक्त हमने शौचालयों के निर्माण के लिए सहमति को प्रभावित करने में आपूर्ति-पक्ष की प्रमुख



रुकावटों का पता लगाने और पानी की उपलब्धता तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन की भूमिका को समझने की कोशिश की।

पृष्ठभूमि

हमने अपने नमूने में देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को शामिल करने का प्रयास किया। इसलिए हमने तीन राज्यों (बिहार, तेलंगाना और गुजरात) को चुना। ये तीन राज्य तीन अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक, भाषायी और आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विविधता के हमारे मानदंड से मेल खाते हैं। शौचालयों तक पहुंच सबसे अधिक गुजरात (85 प्रतिशत), उसके बाद तेलंगाना (61 प्रतिशत), और फिर बिहार (30 प्रतिशत) में देखी गई² प्रत्येक राज्य से हमने दो जिलों (उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सबसे खराब निष्पादन के आधार पर), प्रत्येक जिले से दो ब्लॉकों (उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सबसे खराब निष्पादन के आधार पर), और प्रत्येक ब्लॉक से दो ग्राम पंचायतों (उत्कृष्ट कार्य निष्पादन और सबसे खराब निष्पादन के आधार पर), और प्रत्येक ग्राम का चयन किया। नमूने के आकार में 1252 [बिहार (एन=441), गुजरात (एन=409), और तेलंगाना (एन=402)] इकाइयां शामिल थीं।

व्यवहार विषयक पद्धतियां

पृथक रसोईघर और शौचालय होने के बीच एक सुदृढ़ संबंध देखा गया। मकान के भीतर स्वच्छ रसोई के लिए अलग स्थान की ही भाँति शौचालय के लिए पृथक स्थान

महत्वपूर्ण समझा गया (रविन्द्र, और स्मिथ, 2018)। तीनों राज्यों में हमारे नमूना परिवारों में अधिसंख्य मामलों में पृथक रसोईघर (64.3 प्रतिशत) नहीं पाए गए। जबकि शौचालयों के लिए पहुंच 72 प्रतिशत थी। शौचालयों तक पहुंच होने के बावजूद सभी परिवारों में करीब 8 प्रतिशत अथवा कुछ सदस्य शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। परिवार में शौचालयों के निर्माण का प्रमुख कारण निजता और सुविधा था। इसके बाद समकक्ष का दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, महिलाओं की मांग और पंचायत नेताओं तथा अन्य राजनीतिक नेताओं और स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा शामिल थी।

आंकड़ों के हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि शौचालयों तक पहुंच का पेयजल के प्रमुख स्रोत के साथ मजबूत रिश्ता है। जिन गांवों में पाइप के जरिए जलापूर्ति की व्यवस्था थी, वहाँ शौचालयों तक पहुंच और उनके इस्तेमाल में अधिकता देखी गई। इसके अलावा परिवार के मुखिया के लिंग का भी शौचालयों तक पहुंच पर असर देखा गया। जिन परिवारों की प्रमुख महिलाएं हैं, उनमें पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में शौचालयों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। कृषि इतर स्व-रोजगारत परिवारों में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति कम देखी गई।

शौचालयों तक पहुंच के मामले में किसी परिवार के जीवन की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण घटक पायी गई। अन्य बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को भी शौचालयों तक पहुंच में महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया। परिवार के लिए पेयजल सुविधा की पृथक व्यवस्था होने की स्थिति में पृथक शौचालय के इस्तेमाल की प्रवृत्ति अधिक देखी गई। आवासीय इकाई के भीतर पेयजल स्रोत होने की स्थिति की तुलना में आवास परिसर से पेयजल स्रोत की दूरी 400 मीटर से अधिक होने की स्थिति में, खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति अधिक पाई गई। इसी प्रकार आवास के भीतर जल स्रोत होने की तुलना में आवास से बाहर पेयजल स्रोत होने की स्थिति में परिवार के उपयोग के लिए पृथक शौचालय 10 प्रतिशत कम देखे गए। स्नानघर सुविधा शौचालयों तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि परिवार में स्नानघर

नहीं है, तो खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका रहती है। अटैच बाथरूम सुविधा होने से परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय के उपयोग के अवसर बढ़ जाते हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न अवधियों में पानी की अपर्याप्त उपलब्धता का शौचालयों के उपयोग पर नकारात्मक असर पड़ता है। आवास की स्थिति, जो जीवनस्तर का सूचक होती है, की भी शौचालय उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका है।

परिवारों की आर्थिक स्थिति और कुल खर्च क्षमता का शौचालयों तक पहुंच और उनके उपयोग की प्रवृत्ति पर सकारात्मक असर पड़ता है। मासिक परिवार व्यय 1000 रुपये से अधिक होने की स्थिति से खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति में कमी आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा टिकाऊ सामान पर व्यय में एक प्रतिशत बढ़ोतरी होने से शौचालयों के उपयोग के अवसर 48 प्रतिशत बढ़ जाते हैं। इसका निहितार्थ यह है कि बेहतर आर्थिक स्थिति और बेहतर जीवन स्तर से शौचालयों के निर्माण और इस्तेमाल के अवसर बढ़ जाते हैं।

शौचालय निर्माण संबंधी सरकारी कार्यक्रमों और वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी होने का रचनात्मक असर क्रमशः

शौचालयों के निर्माण और इस्तेमाल पर पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रति जागरूकता खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति में 10 प्रतिशत कमी लाती है। उत्तरदाता (विशेष रूप से परिवार के मुखिया) या महिलाओं के दबाव के कारण निर्मित शौचालयों का इस्तेमाल परिवार के सभी सदस्यों द्वारा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। आसपास के वातावरण की स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी स्थितियां शौचालयों के निर्माण और उपयोग की संभावना बढ़ा देती हैं।

सामाजिक-आर्थिक, ढांचागत और पर्यावरण प्रभावों के बावजूद शौचालयों तक पहुंच और उनके इस्तेमाल में राज्य-विषयक प्रभावों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुजरात की तुलना में विहार में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति 13 प्रतिशत अधिक और परिवार के विशेष इस्तेमाल के लिए शौचालय होने की संभावना 37 प्रतिशत कम देखी गई। गुजरात की तुलना में विहार में 15 वर्ष से ऊपर आयु के पुरुष और महिला सदस्यों और वृद्धजनों द्वारा शौचालयों के उपयोग की संभावना 20 प्रतिशत कम देखी गई। विहार की तुलना में तेलंगाना में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति 30 प्रतिशत अधिक पाई गई।

फोकस ग्रुप विचार विमर्श, भागीदारी पूर्ण ग्रामीण आकलन (पीआरए), स्वच्छता संबंधी चित्रों और विसर्गचित साक्षात्कार की मदद से जागरूकता के दिलचस्प नीतीजे सामने आए। निजी और सामाजिक खुशहाली के प्रति जागरूकता के बावजूद, परिवार खुले में शौच जाने को अपनी खुशहाली के प्रति कोई खतरा नहीं समझते हैं। शौचालयों की तुलना में स्वयं के लिए घर, पूजा स्थल, मनोरंजन के स्रोत के रूप में मेले या सामाजिक उत्सवों की मांग अधिक पायी गई। गांवों में कुछ परिवारों द्वारा शौचालय को स्वीकार न किए जाने का अन्य पर नकारात्मक असर देखा गया। इसे देखते हुए जो शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने भी किसी एक या अन्य बहाने से उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। विभिन्न स्वयं-सहायता समूहों के सदस्यों ने बताया कि शौचालय का ढांचा दिव्यांगजनों के अनुकूल नहीं है। अनेक परिवारों में वृद्धजनों के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना आरामदायक नहीं पाया गया। पीआरए और एफजीटी ने मिल कर यह उद्धारित किया कि सूचना, शिक्षा संचार का एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन की समूची प्रक्रिया



में कम इस्तेमाल किया गया। प्रातःकालीन सतर्कता, खुले में शौच जाने वालों को उजागर करना (विस्मल ब्लोइंग), बैठकों, प्रशिक्षण आदि उपायों के जरिए इस प्रवृत्ति के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए। समुचित स्वच्छता प्रणाली, शौचालयों की आवश्यकता, मल के समुचित निपटान और मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के महत्व के बारे में समुदायों में शिक्षा का अभाव देखा गया।

पवित्रता और प्रदूषण के प्रति सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंड लोगों को घर में शौचालय रखने से रोकते हैं। इसी प्रकार अनेक लोगों की प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना के मेदक जिले के एक गांव में समुदाय के सदस्यों ने पूजा स्थल के निर्माण के लिए धन एकत्र किया, लेकिन शौचालय के निर्माण पर धन खर्च करने में रुचि प्रदर्शित नहीं की।

सिफारिशें

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण की व्यापक सराहना हुई है, परंतु, इसमें शामिल नए लोगों के फिर से मूल व्यवहार में वापसी की आशंका बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए कार्यक्रम में बड़े परिवारों के लिए एक से अधिक शौचालय का प्रावधान करना शामिल किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर सूचना सम्प्रेषण पर अधिक बल दिया जा सकता है। स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को प्रभावित करने में अधिक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।

स्वच्छता में सुधार का संबंध जीवन स्थितियों के अन्य सूचकांकों के साथ है, अतः परिवार के स्तर पर और साथ ही सार्वजनिक सेवा के स्तर पर बेहतर ढांचा कायम करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बेहतर जलापूर्ति सेवा, आवास, स्नानघर का निर्माण जैसे उपाय शौचालय तक पहुंच और उसके इस्तेमाल की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। इसके साथ ही परिवारों की अधिक आय और टिकाऊ सामान की ऊँची क्रय शक्ति का प्रभाव जीवन स्तर को बेहतर बनाने और इस तरह स्वच्छता पद्धति को बढ़ावा देने पर पड़ता है। बेहतर स्वच्छता कवरेज के लिए महिला साक्षरता पर जोर देना भी अत्यंत आवश्यक है। □

1. [https://mowQs.gov.in/sites/default/files/Final_iQCI_report_2017.pdf](http://sbm.gov.in/(ATHARVA) से 1 अक्टूबर, 2019 को लिया गया
2. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय कवरेज के मूल्यांकन के लिए परिवार सर्वेक्षण, रिपोर्ट 2017 वेबसाइट : <a href=)

संदर्भ

1. नील डी. वुजसिक, जे. बर्न्स, आर. बुड, डब्ल्यू और डिवाइन, जे. (2015)। खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति में बदलाव के लिए प्रेरित करना : व्यवहार विज्ञान से नई तकनीक। जल और स्वच्छता कार्यक्रम, विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी।
2. ओ रेली, के. और लुई, ई. (2014)। दि टॉयलेट ट्राइपोड, अंडरस्टैंडिंग सक्सेसफुल सेनिटेशन इन रूरल इंडिया, हेल्थ एंड प्लेस, 29, 43-51
3. गुप्ता ए., कोफे डी. और स्पियर्स डी. (2016)। पवित्रता, प्रदूषण और अस्पृश्यता : ग्रामीण भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों के अंगीकरण, इस्तेमाल और स्थायित्व की चुनौतियां। सभी के लिए स्थायी स्वच्छता सुविधाएँ : अनुभव, चुनौतियां और नवाचार, पेट्रा बोंगार्ज, नाओमी वेरनोन और जॉन फोक्स द्वारा संपादित, प्रैक्टिकल एक्शन पब्लिशिंग, वारविकशायर (यूके)।

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

आर्टीएस, बड़ी परीक्षा में उत्तम होने के लिए

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

'आप IAS
कैसे बनेंगे'

आप
IAS
कैसे
बनेंगे

डॉ. विजय अग्रवाल

₹250/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

स्वच्छता पर गांधी जी के विचार

मुद्रण अयंगर

गांधी जी और उनके साथियों के सामने देश में ग्रामीणों के बीच सफाई और स्वच्छता की समस्या की गंभीरता तब स्पष्ट हो गई, जब उन्होंने चंपारण में कार्य शुरू किया। सबसे पहले यह बात गांधी जी के ध्यान में आई कि समुचित ग्रामीण शिक्षा के बगैर स्थायी कार्य असंभव है।

Dक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद दो वर्ष तक पूरे देश की यात्रा करते हुए गांधी जी को महसूस हुआ कि सफाई और सामाजिक स्वच्छता बड़ी और लगभग अजेय समस्या है। जानकारी का अभाव इसका इकलौता कारण नहीं था, वह मानसिकता भी कारण थी, जो लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाली इस सबसे गंभीर समस्या पर सोचने से रोकती थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने स्वीकार किया कि भारतीयों को सफाई और स्वच्छता से दिक्कत है, जैसा आरोप अंग्रेज लगाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने विरोध करते हुए यह बात सफलतापूर्वक सामने रखी कि रंग को लेकर पूर्वग्रह और प्रतिस्पर्धा का खतरा ही भेदभाव का मुख्य कारण है। लेकिन उनके अपने ही देश में वह जहां भी गए, उन्हें गंदगी, धूल, कचरा और सफाई करने वाले समुदाय के साथ जुड़ी वर्जना, कलंक और शोषण दिखाई दिया। गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज लिख चुके थे। स्वशासन के रूप में ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज की उनकी योजना में देश की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ना अलग बात नहीं हो सकती थी। खुद को सुधारना ही इसकी कुंजी थी और उन्होंने इसके सिद्धांत तथा कार्य बताए। बाद में इसे आश्रम के अनुपालन और रचनात्मक कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस तरह सफाई एवं स्वच्छता तथा छुआछूत दूर करना दो बड़े रचनात्मक कार्यक्रम हो गए।

चंपारण में गांधी जी

गांधी जी और उनके साथियों के सामने देश में ग्रामीणों के बीच सफाई और स्वच्छता की समस्या की गंभीरता तब स्पष्ट हो गई, जब उन्होंने चंपारण में कार्य शुरू किया। सबसे पहले यह बात गांधी जी के ध्यान में आई कि समुचित ग्रामीण शिक्षा के बगैर स्थायी कार्य असंभव है।

चंपारण के गांवों में सफाई मुश्किल काम था। गांधी जी ने कहा कि भूमिहीन श्रमिक परिवार भी अपना मैला खुद उठाने को तैयार नहीं थे। चंपारण के दल में शामिल

हुए डॉ. देव ने नियमित रूप से सड़कों और मैदानों में झाड़ लगाई, कुएं साफ किए और तालाब भरे। धीरे-धीरे गांव की सफाई के मामले में आत्मनिर्भरता का बातावारण तैयार होने लगा।

किसी कार्य से परिचित करने और उसके प्रति द्विकाव पैदा करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण एवं व्यवहार की जरूरत के बारे में अपनी दृढ़ता के कारण गांधी जी ने चंपारण तथा सत्याग्रह आश्रम स्कूलों में सफाई तथा स्वच्छता की शिक्षा देनी शुरू की। चंपारण दल की महिलाओं को बताया गया कि सफाई, स्वच्छता और सदाचार की शिक्षा को साक्षरता से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए। गौरतलब है कि उसके बाद से सफाई एवं स्वच्छता सभी राजनीतिक कार्यक्रमों एवं समाज सुधारों के अधिन अंग और आधार बन गए।

आश्रमों में

गांधी जी और उनके साथ रहने वालों के लिए सफाई के सबक दक्षिण अफ्रीका के फीनिक्स आश्रम में आरंभ हुए। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में फलश वाले शौचालय काफी प्रचलित हो चुके थे और मल से होने वाले प्रदूषण के प्रभावों से लोग अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन समुचित नालियों और निस्तारण प्रणाली से जुड़े फलश शौचालयों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त एवं सुनिश्चित जलापूर्ति बहुत जरूरी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कर पाना बहुत कठिन था। सही विज्ञान एवं समुचित तकनीक फीनिक्स में गांधी जी



के सामने चुनौती थी। मानव मल को पर्याप्त सूखी मिट्टी से ढकना और उसे इकट्ठा कर सुरक्षित रूप से उसका निस्तारण करना सभी मॉडलों में स्थापित प्रचलन था। सभी प्रयोगों में मल को अंत में खेतों में भेज दिया जाता था और जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था। प्रभुदास गांधी ने लिखा है कि गांधी जी के आश्रमों का इतिहास सतर्कतापूर्वक देखा जाए तो पता चलेगा कि शौचालयों में प्रयोगों का अनूठा स्थान है। यदि इस प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक बारीकी से लिखा जाए तो शौचालय निर्माण एवं प्रयोग पर प्रामाणिक एवं उपयुक्त पुस्तिका तैयार हो सकती है।

गांधी जी के लिए सफाई और स्वच्छता भारत में महत्वपूर्ण काम था। भारतीय समाज से अस्पृश्यता का धब्बा हटाने की गांधी जी की इच्छा ने उन्हें शौचालयों और स्वच्छता पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें समाज की यह परंपरा स्वीकार नहीं थी कि कुछ लोग सफाई का काम करें और वे यही काम करने तथा करते रहने के लिए अभिशप्त हों।

सफाई के प्रति संकल्प समाज सुधार का मुख्य तत्व था।

आश्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इस काम के लिए बाहर से किसी को नहीं बुलाया जाए। सदस्य स्वयं ही बारी-बारी पूरी सफाई करते थे।

आश्रमवासियों को ध्यान रखना होता था कि सड़कों और गलियारों में पीक या थूक आदि से गंदगी नहीं फैलाई जाए। गांधी जी राष्ट्रवादी उत्साह से भरे उन जोशीले और संकल्पबद्ध युवाओं का स्वागत करते थे, जो आश्रम से जुड़ना चाहते थे। लेकिन वह चेतावनी भी देते थे कि उन्हें शौचालय की बाल्टी साफ करने की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

वर्धा में जमनालाल बजाज द्वारा स्थापित एवं सहायता प्राप्त आश्रम में रहते हुए मीराबेन - सुश्री स्लेड ने उन्हें बताया कि जब वह सुबह टहलने गई तो उन्होंने पड़ोसी गांव सिंदी के लोगों को सड़क पर खुले में शौच करते देखा। गांधी जी ने उन्हें रोज गांव जाने और सड़कें साफ करने का सुझाव दिया।

सफाई और स्वच्छता सेवाग्राम आश्रम के एजेंडा में भी थी, जहां गांधी जी अप्रैल 1936 से अगस्त 1946 तक रहे। 'सेवाग्राम

गांधी जी अपने भाषण में सफाई का मुद्रा जरूर उठाते थे। गांधी जी के लिए गंदगी बुराई थी। उन्होंने कहा था- ...बुराइयों की तिकड़ी है- 'गंदगी, गरीबी और आलस - जिसका सामना आपको करना है और आप झाड़, कुनीन तथा अरंडी का तेल और मेरा यकीन करें तो चरखा लेकर उससे लड़ेंगे।'

आश्रम के नियमों में कहा गया था कि पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पीने के लिए उबले पानी का उपयोग होता है... थूकना या नाक छिनकना सड़क पर नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसी जगह होना चाहिए, जहां लोग चलते नहीं हों।

मल-मूत्र त्याग निर्दिष्ट स्थानों पर ही करना चाहिए। ठोस पदार्थों के डिब्बे शौच के तरल पदार्थ के डिब्बों से अलग होने चाहिए। मल को सूखी मिट्टी से इस तरह ढका जाना चाहिए कि मक्खियां नहीं आएं और केवल सूखी मिट्टी नजर आए। शौचालय की सीट पर सावधानी से बैठना चाहिए ताकि सीट गंदी न हो। अंधेरा हो तो लालटेन जरूर होनी चाहिए। जिस पर मक्खियां आएं, उसे पूरी तरह ढक देना चाहिए।

जनसभाओं एवं नागरिक समारोहों में

गांधी जी ने कई जनसभाओं, बैठकों, छोटे समूहों, स्वयंसेवकों, महिलाओं एवं आश्रमवासियों को संबोधित किया। कई नागरपालिकों ने उनका नागरिक अभिनंदन किया। ऐसे अधिकतर अवसरों पर उन्होंने सफाई एवं स्वच्छता की बात की।

कांग्रेस के लगभग प्रत्येक बड़े सम्मेलन में गांधी जी अपने भाषण में सफाई का मुद्रा जरूर उठाते थे। गांधी जी के लिए गंदगी बुराई थी। उन्होंने कहा था-

...बुराइयों की तिकड़ी है- "गंदगी, गरीबी और आलस - जिसका सामना आपको करना है और आप झाड़, कुनीन तथा अरंडी का तेल और मेरा यकीन करें तो चरखा लेकर उससे लड़ेंगे।"

गांधी जी ने शहर और नगर पालिकाओं द्वारा किए गए अभिनंदन समारोहों में अपनी

बात रखी और गंदगी की तरफ ध्यान आकर्षित कर सफाई की स्थिति सुधारने का आह्वान किया। वह सफाई के काम को नगर पालिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम मानते थे। जब कांग्रेस ने नगर पालिका चुनावों में हिस्सा लेने की इच्छा जताई तो उन्होंने सलाह दी कि पार्षद बनने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अच्छा सफाईकर्मी बनना चाहिए।

सफाई के मामले में वह पश्चिम के नागरपालिका प्रशासन की सराहना करते थे। 21 दिसंबर, 1924 को बेलगाम में एक नागरिक समारोह में उन्होंने कहा, पश्चिम से हम एक चीज सीख सकते हैं और सीखना चाहिए, वह है नागरिक सफाई का विज्ञान। हमें ग्रामीण जीवन की आदत है, जहां सामूहिक सफाई की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होती। लेकिन पश्चिम की सभ्यता भौतिकतावादी है और इसीलिए उसका ज्ञाकाव गांवों को अनदेखा कर शहरों के विकास की ओर है। पश्चिम के लोगों ने सामूहिक सफाई का विज्ञान विकसित किया है और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। हमारी संकरी और कष्टप्रद गलियां, हमारे घुटन भरे मकान, पेयजल के स्रोतों की अपराधियों जैसी अनदेखी को सुधारना होगा। लोगों से सफाई के कानूनों का पालन कराना ही नागरपालिका की ओर से सबसे बड़ी सेवा होगी।

पत्र-पत्रिकाओं में

गांधी जी ने कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया और उनमें लेख लिखे। उन्होंने नवजीवन और यंग इंडिया और बाद में हरिजन में सफाई तथा स्वच्छता के बारे में खूब लेख लिखे। देश में गांवों और शहरी बस्तियों में गंदगी की बात उनके दिमाग में थी। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान उन्होंने सफाई तथा स्वच्छता के मामले में घरों, तालाबों और खेतों की स्थिति पर नवजीवन में लिखा। उन्हें इस बात की पीड़ा थी कि किसान और उनके परिवार अनभिज्ञता और बेफिक्री के कारण गंदी और अस्वच्छ स्थितियों में रह रहे हैं।

खुले में शौच के लिए आजकल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में अंग्रेजी में 'ओपन डिफिकेशन' शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन गांधी जी ने उसके लिए अधिक गरिमामय 'ओपन इवैक्यूएशन' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि शौचालयों का प्रयोग

नहीं करने और खुले में शौच नहीं करने से कई बीमारियां होती हैं। परिवारों तथा बस्तियों में बुजुर्ग, बच्चे, रोगी और कमज़ोर व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आंगन, गलियाँ और मकान ही शौचालयों में तब्दील हो जाते हैं और जगह गंदी हो जाती है और हवा दूषित हो जाती है। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि लोग सावा शौचालय बनाएं या डिब्बों की व्यवस्था करें, जिसमें मल को सूखी मिट्टी से ढका जाए।

गांधी जी हरेक अवसर पर सफाई और स्वच्छता के बारे में लिखते रहे। हालांकि वे कभी इस बात से सहमत नहीं हुए मगर वह समझते थे कि बेसहारा, गरीब और दलित वर्ग के लोग गंदगी को अपने जीवन का हिस्सा मान बैठे हैं। गांधी जी के शब्दों में सफाई और स्वच्छता की समस्या 'सामूहिक' स्तर पर थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय अपने घर-आंगन को धूल, कीड़ों और छिपकलियों से मुक्त रखते हैं, लेकिन सब कुछ अपने पड़ोसी के आंगन में फेंकने में बिल्कुल नहीं

हिचकिचाते। इस बुराई को हम लोग आब भी खत्म नहीं कर पाए हैं।

जनवरी 1935 की एक शाम को दिल्ली के सेंट स्टीफ़ेन्स कॉलेज के प्रोफ़ेसर विनसर ने एक दर्जन छात्रों के साथ गांधी जी से मुलाकात की। ग्रामीणों को चिकित्सा मदद के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि एहतियात और इलाज के बारे देखभाल के रूप में सफाई और स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। मलेरिया की एक हजार गोलियाँ बांटना अच्छा है, लेकिन प्रशंसनीय नहीं है। मल के गढ़े भरकर, गंदा पानी निकालकर, कुओं और टैंकों की सफाई कर बीमारियों से बचने की शिक्षा अधिक प्रशंसनीय होगी। हरिजनों के लिए स्कूल में पढ़ाने के बारे में निर्देश यांगे जाने पर गांधी जी ने सफाई और स्वच्छता के बारे में शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहें कि आपकी प्रयोग में कमी करने, दोबारा प्रयोग करने और रीसाइकल करने की शिक्षा सफाई

और स्वच्छता की अच्छी शिक्षा के सामने कुछ भी नहीं है... किनारी प्रशिक्षण का अहुत फादर नहीं है। मैंने जो बताया, उसका ध्यान रखिए। बाद रखें कि अशिक्षित लोगों को बढ़ा रान्नों पर शासन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। उन्हें अपनी शिक्षा द्वारा उन्हें से दें, लेकिन उस शिक्षा की अंधधक्कित न कराएं।

गांधी जी विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को सफाई के महत्व के बारे में कहते रहे और उन्हें पहला काम यही करने का मुद्राव दिया। 1946 में जनवरी 1948 तक उन्होंने सफाई और स्वच्छता की शिक्षा पर और अधिक बोर दिया। उनके मुताबिक रेलवे और जहाज से यात्रा के दौरान सफाई एवं स्वच्छता पर सर्वजनिक शिक्षा के सबसे अच्छे अवकाश होते हैं।

गांधी जी के दिमाग में सफाई और स्वच्छता बहुत अधिक छाई थी क्योंकि आबदी के फैसल बाद शरणार्थी शिक्षियों में वह जो देख रहे थे, उससे बहुत अधिक विचलित हुए थे। 13 अक्टूबर, 1947 को उन्होंने कहा कि शरणार्थी शिक्षियों में सफाई की समस्या और स्वच्छता की स्थिति को वह बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि भारतीयों को मेसे, धार्मिक समाजों और कांग्रेस के सत्र तथा समेतन जाचोंवित करने का अनुभव है, लेकिन सामाज्य जन के रूप में हमें शिक्षियों के जीवन की आदत नहीं है। भारतीयों में सामाजिक स्वच्छता का भाव नहीं है, विससे नंदगी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है और संज्ञानक एवं संचारी देश फैलने का खतरा पैदा हो जाता है।

अपनी शाहदत से एक दिन पहले 29 जनवरी, 1948 को उन्होंने प्रस्तावित लोक सेवक संघ का संविधान तैयार किया। बाद में उसे गांधी जी की अतिम वसीयत माना गया। इस दस्तावेज में सेवक का छता काम यह था:

उसे ग्रामीणों को सफाई और स्वच्छता की शिक्षा देनी होगी और उन्हें खालब रोहत तथा बीमारियों से बचाने के लिए एहतियात के सभी उपाय करने होंगे।

सफाई और स्वच्छता गांधी जी के पूरे जीवन में और जीवन के अंत तक प्राथमिकता बनी रही। □

(‘इन द फुटस्टेप ऑफ महाना गांधी एंड सैनिटेशन’ उत्तरक (प्रकाशन विभाग, 2016) के अंसें।)




क्या आप जानते हैं?

स्वच्छ भारत मिशन—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मोबाइल एप

आखासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 से जुड़े टूल्किट 'एसबीएम बाटर प्लस प्रोटोकॉल एंड स्वच्छ नगर' के साथ इंटीग्रेटेड कचरा प्रबंधन एप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एमएसबीएम एप पेश किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण टूल्किट 2020 में सर्वे के तरीकों और अन्य चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि शहरों को सर्वेक्षण के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिल सके।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एमएसबीएम एप (मोबाइल एप) को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने विकसित किया है। यह स्वच्छ भारत अभियान-शहरी के तहत न सिर्फ निजी घरों में शौचालय के इच्छुक आवेदकों को सहूलियत मुहैया कराने में सक्षम है, बल्कि सही तस्वीर भी अपलोड करने में मददगार है। ऐप संवर्धित शौचालय से जुड़े आवेदन की जांच और इसके लिए मंजूरी प्रदान करने में भी नोडल अधिकारी की सहायता करता है। ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने में भी समय कम लगता है। मंत्रालय हर साल नए तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण का खाका तैयार करता है, ताकि प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जा सके और व्यवहार संबंधी बदलाव को टिकाऊ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।



इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी

के द्वीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य संबंधी एक और निर्णयिक पहल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सिगरेट के विनिर्माण, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश लाने को अनुमति प्रदान की है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बैटरी से संचालित उपकरण होते हैं। यह निकोटिन वाले सॉल्यूशन को गर्म कर एरोमॉल पैदा करता है। पाबंदी के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, गर्म (लेकिन ज्वलनशील नहीं) उत्पाद, ई-हुक्का और इसी तरह के अन्य पदार्थ शामिल हैं। विकसित देशों में खासतौर पर बच्चों और युवाओं के बीच इन उपकरणों का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद ई-सिगरेट का उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री समेत), वितरण या विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन समेत) दंडनीय अपराध हो जाएगा। इस सिलसिले में पहली बार अपराध के लिए एक साल की कैद या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार या इसके बाद पकड़े जाने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होगा। इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट के भंडारण पर भी सजा का प्रावधान किया है। इस मामले में 6 महीने तक की कैद या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ई-सिगरेट के मौजूदा स्टॉक के मालिकों को अध्यादेश के शुरू होने की तारीख को खुद से इस बारे में घोषणा कर इन स्टॉक को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने को कहा जाएगा।

(स्रोत: पीआईबी)

जल नायक-अपनी कहानियां साझा करें प्रतियोगिता

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा उद्धार विभाग ने 'जल नायक-अपनी कहानियां साझा करें' प्रतियोगिता शुरू की है। इसका मकसद जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और जल संरक्षण और जल संसाधन के सतत विकास अभियान को लेकर देशभर में की जा रही प्रयासों को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को जल संरक्षण की दिशा में अपनी सफलता की कहानियों के बारे में बताना होगा। इन कहानियों को लेख (300 शब्दों तक), फोटो, एक से पांच मिनट तक के वीडियो के जरिये बताया जा सकता है, जिसमें जल संरक्षण, जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन, पानी के उपयोग आदि की दिशा में देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले माईजीओवी (My Gov) पोर्टल पर अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक के साथ अपनी कहानियां और तस्वीरें साझा कर सकते हैं। प्रतियोगिता के लिए लेख, तस्वीरें आदि को waterheroes.cgwb@gmail.com पर भी भेजा जा सकता है। चुने गए सफल प्रतिभागियों को 10,000 रुपये प्रत्येक का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता 10 महीने तक चलेगी। हर महीने, अधिकतम 10 कहानियों का नकद पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 है।



स्रोत: <https://www.mygov.in/task/water-heroes-share-your-stories-contest/>



ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

दिव्या मिश्रा

कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से अधिकतम मात्रा में उपयोगी संसाधन प्राप्त करना और ऊर्जा का उत्पादन करना है ताकि कम-से-कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थों को लैंडफिल क्षेत्र में फेंकना पड़े। इसका कारण यह है कि लैंडफिल में फेंके जाने वाले कूड़े का भागी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तो इसके लिए काफी जमीन की आवश्यकता होती है जो लगातार कम होती जा रही है, और दूसरे कूड़ा वायु, मिट्टी और जल-प्रदूषण का संभावित कारण भी है। अपशिष्ट पदार्थ पैदा करने वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कूड़े की छंटाई करें जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मूल आवश्यकता है।

ठो स अपशिष्ट प्रबंधन भारत में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप शहरी कूड़े-करकट की मात्रा बहुत बढ़ गयी है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवनस्तर में सुधार से यह समस्या और भी जटिल हुई है। देश में ठोस कूड़े-करकट का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रबंधन और निपटान) नियमावली, 2000 और पुनर्गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2000 अधिसूचित किये हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिशा में पहल की जा रही हैं। लेकिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मसलों के व्यापक समाधान के लिए अब भी बहुत-कुछ किया जाना बाकी है।

इस लेख में देश में कारगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक कानूनी ढांचे, इसके महत्वपूर्ण घटकों और इसकी स्थिति, अब तक उठाये गये कदमों तथा चुनौतियों और आगे के रास्ते की चर्चा की गयी है।

कानूनी ढांचा

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, राज्यों के शहरी मामलों के विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों तथा कूड़ा उत्पन्न करने वालों समेत विभिन्न भागीदारों की जिम्मेदारी रेखांकित करती है। दूसरी ओर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्यों के शहरी मामलों के विभागों और स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को नियमों पर अमल की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कूड़ा उत्पन्न करने वालों की मूल जिम्मेदारी यह है कि वे कूड़े की छंटाई करें क्योंकि यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य आवश्यकता है। ये नियम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकताओं को रेखांकित करने के साथ ही लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय-सीमा भी निर्धारित करते हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-प्रमुख घटक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख घटकों में ये शामिल हैं-

प्रथम चरण : अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वालों द्वारा कचरे को सूखे और गीले कचरे के रूप में छांट कर अलग करना।

द्वितीय चरण : घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करना और छंटाई के बाद इसे प्रसंस्करण के लिए भेजना।

तृतीय चरण : सूखे कूड़े में से प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच जैसी पुनर्चक्रित हो सकने वाली उपयोगी सामग्री छांट कर अलग करना।

चतुर्थ चरण : कूड़े के प्रसंस्करण की सुविधाओं, जैसे कम्पोस्ट बनाने, बायो-मीथेन तैयार करने, और कूड़े-करकट से ऊर्जा उत्पादन करने के संयंत्रों की स्थापना करना।

पंचम चरण : अपशिष्ट के निस्तारण की सुविधा-लैंडफिल बनाना।

कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कूड़े-करकट से उपयोगी पदार्थों को निकालना और बचे हुए अपशिष्ट से प्रसंस्करण केन्द्र में बिजली का उत्पादन करना है (चतुर्थ चरण) और लैंडफिल में डाले जाने वाले कूड़े की मात्रा को कम से कम करना है क्योंकि तेजी से सिमट रहे भूमि संसाधन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं। इस तरह से फेंका गया कूड़ा-करकट वायु, मृदा और जल प्रदूषण का खतरा पैदा कर सकता है। सभी



पहले

बाद में

कर्तव्य

मध्य प्रदेश के इंदौर में बिन-मुक्त अपशिष्ट प्रबंधन पहल

अपशिष्ट प्रसंस्करण केन्द्रों (चतुर्थ चरण) के लिए पहली जरूरत सूखे और गीले कूड़े को अलग करने की है। अगर कूड़ा-करकट एकत्र नहीं किया जा रहा है और छांट कर अलग-अलग करके प्रसंस्करण केन्द्र में ठीक से नहीं भेजा जा रहा है तो इसका प्रसंस्करण करना संभव नहीं है। इस स्थिति में अपशिष्ट लैंडफिल (पंचम चरण) में फेंक दिया जाता है। अगर कूड़े-करकट को इकट्ठा करके उसकी छंटाई किये बिना ही प्रसंस्करण केन्द्र में पहुंचा दिया जाता है तो उसका प्रसंस्करण बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे कूड़े के साथ भवन निर्माण और उनकी तोड़-फोड़ से निकला मलबा भी होता है जिसे प्रसंस्करण संयंत्र में सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। कूड़े को इकट्ठा करने, छांटने और परिवहन जैसी गतिविधियों के बीच पूरा तालमेल होना जरूरी है। तभी उसका उपयोग उस इलाके के प्रसंस्करण केन्द्र में किया जा सकता है। कूड़े के विभिन्न अवयवों से संबंधित मुद्रे संक्षेप में टेब्ल-1 में दिये गये हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार देश में रोजाना कुल 1,52,076 टन ठोस कूड़ा उत्पन्न होता है। रोजाना 1,49,748 टन कूड़ा, जो कि

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समग्र स्थिति



कूड़े की कुल मात्रा का 98.5 प्रतिशत इकट्ठा किया जाता है। लेकिन केवल रोजाना 55,759 टन (35 प्रतिशत) कूड़े का उपचार किया जाता है, 50,161 टन (33 प्रतिशत) लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और 46,156 टन यानी रोजाना उत्पन्न होने वाले कुल कूड़े के एक तिहाई का कोई हिसाब नहीं रहता।

देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति का विवाहलोकन इस प्रकार है:

- 24 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्रोत पर ही छंटाई शुरू हुई;
- 22 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में यह जारी;
- 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए जमीन का अधिग्रहण किया;
- अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित-

- 2028, अपशिष्ट प्रसंस्करण शुरू-160; लैंडफिल स्थानों की पहचान-1161, संचालन शुरू हुआ-37.

जिस कूड़े का कोई हिसाब-किताब नहीं मिलता वह गलियों में पड़ा रहता है या कूड़ा फेंकने के स्थानों में डाल दिया जाता है। इस समय देश में कूड़ा फेंकने के 3,159 स्थान हैं जो भूमिगत जल और वायु के प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। कूड़े के इन ढेरों में आग लगने, इनकी स्थिरता और कूड़े से इन स्थानों की खबूसूरती खराब होने की भी समस्या उत्पन्न होती है। हाल में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के हस्तक्षेप से 11 राज्यों में ऐसे स्थानों में कूड़े के ढेरों की बायोमाइनिंग शुरू हुई है। (बायोमाइनिंग कूड़े के ढेरों को स्थिर बनाने की विधि है ताकि उनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर को कम से कम किया जा सके)।

- (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पहल

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है-

- लिंगेसी वेस्ट (पुराने कूड़े) के बारे में दिशानिर्देश;
- बफर जॉन के बारे में दिशानिर्देश;
- सेनीटरी वेस्ट (घरों से निकलने वाला ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ) और

- * यूपी मुख्यमंत्री करने की देखभाली की सहायता।

इसमें जलवाया, बोर्डर फ्रंटर्स विभाग और ने सहभाग अधिकारीयों को ठीक अपशिष्ट प्रबंधन के विषयों की ज्ञानात्मक बदलने और इसमें यूपी भरने वाले अधिकारीयों से दृष्टि से तोर पर वर्चावरण-मुआवजा वालात्मक विशेष रिपोर्ट है।

(३) राज्यों के बीच आसित प्रबंधन की योजना

छत्तीसगढ़, राज्य प्रदेश, राज्य और सेव तथा योजना जैसे कुछ राज्यों और केन्द्र स्थानीय प्रदेशों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विषयों का अधिकतम अनुपालन किया है, तेहिन बाकी के मामले में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की योग्य पहल इस प्रकार है:

- सभी स्थानीय शहरी निकायों में घर-घर जाकर कूड़ा एकत्र करने, उसकी छंटाई और बंद बाहनों के जरिए उसके परिवहन की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हुआ।
- सभी 168 शहरी स्थानीय निकायों में कचरे के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना के लिए जमीन की पहचान की गयी।
- सेनेटरी लैंडफिल बनाने की कोई योजना नहीं : 166 शहरी स्थानीय निकायों ने ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केन्द्र स्थापित किये और 2 शहरी स्थानीय निकायों में कम्पोस्ट/कूड़े से इंधन बनाने की सुविधा विकसित की।
- ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन केन्द्र बनाने की योजना।
- 160 शहरी स्थानीय निकायों में बायोरीमेंडिएशन/कैपिंग का काम पूरा हुआ। शेष आठ में इसके 2021 तक पूरा होने की संभावना।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाने के उप-नियम बनाये गये।

(3) कूड़े से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना

देश में कूड़े से ऊर्जा प्राप्त करने वाले 4 संयंत्र स्थापित किये गये जिनमें से 4 दिल्ली में हैं। इन संयंत्रों में उत्पन्न विजली विद्युत

प्रियांका गुप्त योगी का संगीत विषयक योग्यता का भी जारी है। ऐसा का विविध योग्यता की इसी तरह के कई योग्यता का विविध विषय है।

(4) बॉर्डर शहरों का विकास

यूपी (लखनऊ), बिहार (बाबूगढ़) और अधिकारीय (बानीसगढ़) को बॉर्डर शहरों के रूप में विकास किया गया है। इन शहरों ने कूड़े-करकट का दशानामूर्ति का संयोग करने, उसकी छंटाई और प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित की हैं। इन शहरों ने कूड़ा फेंकने के खुलाब हृष्ट स्थानों को ठीक करने की विधियों को अपनाया है और जमीन को फिर से उपयोग योग्य बनाया है।

(5) बढ़ता हुआ कानूनी हस्तक्षेप

राष्ट्रीय हरित अधिकारण अधिनियम, 2010 के पारित होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में न्यायिक हस्तक्षेप की वजह से विभिन्न भागीदार, खास तौर पर राज्यों के अधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। अधिकारण के कुछ प्रमुख आदेश इस प्रकार हैं:

(क) अलमित्र एच. पटेल और एक अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य, ओ. ए. 199/2014 दिनांक 22.12.2016 में अधिकारण ने यह आदेश दिया :



इंदौर में अत्याधुनिक यंत्रीकृत स्थानांतरण स्टेशन

* प्रत्येक ताजे और कंवर में आमिन द्वारा किया जाता है। यह किंवदं अप्रैल 2016 का प्रतीक और कियाजाता करता है।

* यही ताजे द्वारा और कंवर में आमिन प्रत्येक प्रारंभ 2016 के लिये नीर और इस विस्तृत में तीव्र वित्तीय के सहर में इस विधेय की विधाया की तारीख वे चार सदाचार के बीच एक कार्य योजना बनायी।

* कूड़े-करकट को जलाने से पहले उपकी मात्रा को ध्यान में रखकर उपकी छंटाई करना अनिवार्य होगा।

* संयंत्रों और लैंडफिल स्थलों के आम-पास बायर जान बनाना अनिवार्य होगा।

* राज्यों, स्थानीय प्राधिकारियों के लिए कूड़े-करकट से बनाए गए ईंधन (आरडीएफ) के उपयोग के लिए बाजार बनाना अनिवार्य होगा।

* लैंडफिल वाली जगहों को आदेश की घोषणा की तारीख से छह महीनों के पीतर बायो-स्टेबिलाइज करना होगा।

* कूड़े-करकट को लैंडफिल की जगह या किसी अन्य स्थान पर जलाने की पूरी मनाही होगी।

(ख) राष्ट्रीय हरित अधिकारण ने ओ. ए. 606/2018 पर अपने आदेश दिनाक



टेबल - 1

कूड़े-करकट का संकलन	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर में संग्रह करना	कूड़े-करकट के प्रसंगकरण के लिए स्रोत पर ही उपकी छंटाई जाती है
कूड़े-करकट का उपचार	कम्पोस्ट बनाना	कम्पोस्ट का उपयोग बदबू का मुद्रा और प्रदूषणकारी पदार्थों का उत्पन्न होना
	बायोमीथेनेशन	अंतिम उत्पाद का निस्तारण; कचरे का समांगी होना जरूरी
	जलाना	उत्सर्जन : अम्लीय गैसें, डायऑक्सीन और फ्यूरेन
लैंडफिल		अपर्याप्त क्षमता; संचालन और रखरखाव के मुद्रे; भूमि संबंधी मुद्रे

5.3.2019 में सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निम्नलिखित निर्देश दिये हैं:

- ठोस अपशिष्ट प्रवंधन के नियम 22 और 24 पर अमल पर अब छह सप्ताह के भीतर वे सब कदम उठा लिए जाने चाहिए जो अभी तक नहीं उठाए जा सके हैं। इसी तरह के 23 कदम बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रवंधन नियमावली और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रवंधन नियमावली के लिए भी उठाए जाने चाहिए।
- आज (22.12.2016) से दो सप्ताह के भीतर राज्य में कम से कम तीन प्रमुख शहरों और ज्यादा से ज्यादा मुमकिन कस्बों में तथा हर जिले की तीन पंचायतों को ऐसे आदर्श शहर/कस्बे/गांव के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए जिन्हें अगले 6 महीनों में इन नियमों का पूरी तरह से पालन करने वाला बना दिया जाएगा।
- राज्य के शेष शहरों/कस्बों/ग्राम पंचायतों को एक साल के भीतर पर्यावरण संबंधी मानदंडों का पूरी तरह से पालन करने वाला बना दिया जाना चाहिए।
- मुख्य सचिव द्वारा हर तीन महीनों में ट्रैमासिक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए। इस तरह की पहली रिपोर्ट 10 जुलाई, 2019 तक भेज दी जानी चाहिए।
- मुख्य सचिव को महीने में कम से कम एक बार सभी जिला मजिस्ट्रेटों के साथ प्रगति की स्वयं निगरानी करनी चाहिए।

- जिला मजिस्ट्रेटों या अन्य अधिकारियों को इस बारे में वांछित प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

- जिला मजिस्ट्रेटों को पर्यावरण संबंधी मानदंडों के अनुपालन की स्थिति की निगरानी दो सप्ताह में कम से कम एक बार करनी चाहिए।
- विनियामक संगठनों के कामकाज का कार्यविधान ऑफिट कराया जाना चाहिए और छह महीने के भीतर निवारणात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

- (ग) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 17.7.2019, ओ.ए.सं. 519/2019 (ओ.ए.सं. 386/2019) में दिल्ली में कूड़ा फेंकने के तीनों स्थानों यानी गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में बायोमाइनिंग कराने का आदेश दिया है।
- चुनौतियां**

ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियमों पर अमल के रास्ते में विभिन्न चुनौतियां इस प्रकार हैं:

1. कूड़ा उत्पन्न करने वालों द्वारा स्रोत पर ही इसकी छंटाई।
2. कूड़ा-करकट जमा करने और उसके परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी।
3. कूड़ा-करकट जमा करने और परिवहन सुविधाओं की स्थापना के लिए जमीन की उपलब्धता।
4. उपर्युक्त 2 और 3 के लिए बजट संबंधी प्रावधान।
5. नये और पहले से चले आ रहे कूड़े-करकट के लिए तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक समाधान।
6. पुराने ठोस शहरी कचरे का प्रबंधन।

7. ज्यादातर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण इलाकों को छोड़ दिया गया।
8. प्रवर्तन संबंधी मुद्रे।

आगे का रास्ता

भूमि की उपलब्धता, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और वित्तीय संसाधनों की कमी ठोस अपशिष्ट प्रवंधन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है इसलिए ठोस अपशिष्ट प्रवंधन का मुख्य जोर कूड़े-करकट में से अधिक से अधिक उपयोगी संसाधनों को अलग करना है ताकि कुशल ठोस अपशिष्ट प्रवंधन के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता आसान हो जाए। इस दिशा में प्रमुख कदमों में शामिल हैं:

- क) ठोस अपशिष्ट प्रवंधन के लिए कार्य में विभिन्न सहभागियों की भागीदारी के लिए जन जागरूकता पैदा करना।
- ख) कूड़े-करकट का संग्रह करने, उसकी छंटाई, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थानीय निकाय की जरूरत के अनुसार कार्य योजना बनाना। इन योजनाओं को लागू करने के लिए इंदौर, अम्बिकापुर और पुणे जैसे मॉडल शहरों से जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।
- ग) कूड़े-करकट के प्रसंस्करण की सुविधाओं की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए न कि इसके निपटान की सुविधाओं पर जैसा कि छत्तीसगढ़ के मामले में देखा गया है।
- घ) कूड़े-करकट में से संसाधनों को छांट कर निकालने पर जोर देते हुए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- इ) ठोस अपशिष्ट प्रवंधन की विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत क्षमता निर्माण।
- ज) राज्य और जिला स्तरों पर उपयुक्त अभिशासन ढांचा खड़ा करना।
- झ) शहरी स्थानीय निकायों, कूड़ा फैलाने वालों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी सौंपना और अनौपचारिक क्षेत्र को कूड़ा इकट्ठा करने/छांटने के काम में भागीदार बनाना।
- ज) शहरी स्थानीय निकायों को प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी और अपशिष्ट प्रवंधन के बेहतरीन तौर-तरीके अपनाने में पर्याप्त तकनीकी सहायता।

स्वच्छ भारत—सफलता का एक अध्याय

अक्षय राउत

देश भर में व्यक्तियों / समूहों / संस्थानों की अनगिनत प्रेरणादायक कहानियों ने इन वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया है और ये सब अद्वितीयता और नवीनता में परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

दो

अक्टूबर, 2019 की शाम को, अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट पर उस समय एक इतिहास रचा गया जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के सबसे बड़े हिमायती महात्मा गांधी को उनकी 150 वीं जयंती पर श्रद्धांजलि स्वरूप खुले में शौच मुक्त ग्रामीण भारत समर्पित किया। देश के सभी 699 जिलों को शौच मुक्त करने की घोषणा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की पांच वर्ष की प्रेरणादायक और महत्ती यात्रा का प्रतीक है। अक्टूबर 2014 में जब यह यात्रा शुरू हुई तब भारत में स्वच्छता का स्तर केवल 39 प्रतिशत था और इसलिए एक नए अभियान के तहत इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना एक असंभव काम लगता था। इस गौरवशाली उपलब्धि ने लगभग 60 करोड़ लोगों को स्वच्छता पर अमल के लिए प्रेरित कर, स्वच्छ भारत मिशन को, आदतों में बदलाव के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया।

15 अगस्त, 2014 को, स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक जन आन्दोलन शुरू करने और सभी के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री के आह्वान ने देशवासियों के सामने एक अवधारणा पेश की और उनमें जोश भर दिया। इस विषय की मार्मिकता इस तथ्य से सामने आई कि प्रधानमंत्री ने साधारण महिलाओं की गरिमा के मुद्दे को, उनकी दुर्दशा से जोड़कर नागरिकों की अंतरात्मा का आह्वान किया।

उस समय वैश्विक आंकड़ों की तुलना में भारत में खुले में शौच के लिए जाने वालों की संख्या पचास प्रतिशत से अधिक थी। भारत की भौगोलिक विशालता, विविधता और क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल करना वास्तव में एक जटिल कार्य था। लक्षित वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वच्छता के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य- 6 को हासिल

करना लगभग इस बात पर निर्भर करता था कि भारत क्या कर सकता है या क्या नहीं। सभी बाधाओं के बावजूद, स्वच्छ भारत मिशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य- 6 को एक दशक पहले ही हासिल करके विश्व स्तर पर एक अग्रणी के रूप में उभरा है। स्वच्छ भारत मिशन की केवल 5 वर्षों की छोटी सी यात्रा, इस तथ्य से सभी को आश्चर्यचकित करती है कि 10 करोड़ से



लेखक भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक (विशेष परियोजनाएं) रह चुके हैं। ईमेल: akshayraut@gmail.com

अधिक घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है, और भी 6 लाख गांवों, 699 जिलों और 35 संघों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को शौचमुक्त घोषित किया गया है।

देश भर में व्यक्तियों / समूहों / संस्थानों की अनिवार्यता प्रेरणादायक कहानियों ने इन वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया है और ये सब अद्वितीयता और नवीनता में परम्परा प्रतिष्ठानों कर रहे हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय निम्न प्रकार हैं:

15 साल की स्कूली लड़की लावण्या ने अपने घर में शौचालय की पांग के लिए 48 घटे की भूख हड़ताल की। उनका यह आग्रह और अनूठा विरोध प्रदर्शन कर्नाटक के तुमकुरु में उनके गांव में अपनी तरह की एक छोटी सी क्रांति का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत की सहायता से न केवल लावण्या के घर बल्कि गांव के अन्य घरों में भी शौचालय बनाया जा रहा है। लावण्या ने अपने जिले में स्वच्छता राजदूत बनकर इसे शौचमुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी इस उपलब्धि की प्रशंसा प्रधानमंत्री ने अपने मासिक रेडियो संबोधन मन की बात में की।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कोताभरी गांव की 104 वर्षीय कुंवर बाई ने अपने घर पर शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी। उनकी इस प्रेरक पहल के लिए, प्रधानमंत्री ने उन्हें मार्मिक तरीके से सम्मानित किया। जम्पू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बड़ाली गांव की 87 वर्षीय महिला रखड़ी ने अपने गांव में एक शौचालय का निर्माण करने का दायित्व स्वयं पर ही ले लिया, क्योंकि वह राजमिस्त्री का खर्च बहन नहीं कर सकती थी। बिहार की एक मुविधाविहीन महिला अमीना खातून अपने घर पर शौचालय का निर्माण करने के लिए पैमाने इकट्ठे करने निकलीं तो इससे अधिकृत होकर, एक राजमिस्त्री और एक मजदूर ने उनकी मदद की और उनसे कुछ भी पैमा लेने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो संबोधन में, भोजपुर गांव में 100 से अधिक शौचालयों का निर्माण बिना कोई भुगतान लिए करने और स्वच्छता मंडली का हिस्सा बनने के लिए राजमिस्त्री 65 वर्षीय दिलीप सिंह मालवीय की प्रशंसा की थी।

अभियान के केंद्र में होने, उसका नेतृत्व

करने और इस प्रक्रिया में गरिमा तथा सशक्तीकरण वापस प्राप्त करने के कारण स्वच्छ भारत मिशन इस प्रक्रिया में पहिलाओं के साथ बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहिलाओं ने न केवल स्वच्छता पर चर्चा करने और लोगों को समझाने का माहस किया, बल्कि वे पुरुषों के वर्चस्व वाले चिनाई के काम में दाढ़ा ठोककर एक कदम और आगे बढ़ गईं। उन्होंने शौचालयों का निर्माण करके रानी मिस्त्री का नाम पाया। देश के कई हिस्सों में अब शौचालयों को प्यार से 'इंजत घर' कहा जाता है। बच्चों और युवाओं ने स्वच्छा

से बड़े पैमाने पर स्वच्छता को अपनाया और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता श्रमदान किया। कई जगह स्कूली बच्चों ने मुझे शौचालय चाहिए की मांग के साथ माता-पिता और स्कूल प्रबंधन को शौचालय की आवश्यकता महसूस करवाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बच्चों ने सबैको समय निरानी कर खुले में शौच करने वालों के लिए सीटी बजाकर और टाँच की रोशनी कर उन्हें शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए विश्व किया।

स्वच्छ भारत मिशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले घटक- सूचना, शिक्षा और संचार को रेखांकित किए बिना इस कार्यक्रम की सफलता की कहानी पूरी नहीं हो सकती। लगभग साढ़े चार लाख स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छता की आवश्यकता पर जोर देते हुए गांवों के घरों में इस बारे में चर्चा का नेतृत्व किया। दरवाजा बंद और शौच सिंह जैसे जनसंचार अभियानों ने आम लोगों की कल्पना और सोच में बदलाव किया। स्वच्छता ही मेवा, मत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, चलो चंपारण और स्वच्छ शक्ति जैसे अभियान स्वच्छता के उद्देश्य के लिए समाज को प्रेरित करने वाले बड़े उदाहरण बन गए हैं।



प्रधानमंत्री ने हमें इस पर जोर दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन में हर किसी को जोड़ा जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विशेष परियोजनाओं : नमामि गंगा, स्वच्छ अनुप्रतीकात्मक स्थल, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता कार्य योजना आदि की एक शृंखला रही है, जिसमें सरकार और प्रबुद्ध समाज के सभी वर्गों, जिनमें कॉर्पोरेट जगत भी है, ने समग्र स्वच्छता में योगदान दिया है। अपने क्षेत्र में स्वच्छता में सुधार लाने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों का गर्भी की छुट्टियों में गांवों में जाकर स्वच्छ भारत प्रशिक्षण के रूप में श्रमदान करना और जागरूकता बढ़ाना प्रेरणादायक है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन वर्षों के दौरान हासिल किए गए महत्वपूर्ण लाभ, केवल स्वच्छता मुविधाओं और स्वच्छता पर अमल तक सीमित नहीं हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों द्वारा इसके प्रभावों के अध्ययन से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य, वित्तीय और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह बहुत लाभकारी साबित हुआ है। मल संदूषण के संदर्भ में पर्यावरण के प्रभावों पर यूनिसेफ के नवीनतम अध्ययन में पाया गया कि खुले में शौच वाले गांवों के भूजल म्रोतों

के 11.25 गुना अधिक दूषित होने की संभावना है। उनकी मिट्टी के दूषित होने की संभावना 1.13 गुना, भोजन की 1.48 गुना और उनके घर के पीने के पानी के 2.68 गुना अधिक दूषित होने की संभावना होती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार भारत के खुले में शौच मुक्त होने पर 2019 तक 3 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकेगी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 2017 में लिए गए एक अध्ययन में बताया है कि खुले में शौच वाले क्षेत्रों में बच्चों में दस्त के लागभग 44 प्रतिशत अधिक मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2017 में यूनिसेफ के एक अन्य अध्ययन में सुझाव दिया गया था कि खुले में शौच मुक्त गांव का प्रत्येक परिवार, परिहार्य चिकित्सा लागत, समय की बचत और जीवन बचाने के कारण प्रति वर्ष 50,000 रुपये से अधिक राशि बचाता है। महिला-पुरुष समानता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 2017-18 के एक अध्ययन में खुले में शौच मुक्ति के कारण महिलाओं द्वारा घरेलू और बाल देखभाल में लगाए जाने वाले समय में लागभग 10 प्रतिशत की कमी और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का संकेत दिया गया है। मोटे तौर पर ये अध्ययन, स्वच्छ भारत मिशन के बाद बनी नई स्वच्छता व्यवस्था से जीवन स्तर में सुधार के साथ एक नई सुबह की ओर इशारा करते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2019 को स्वच्छ भारत दिवस पर अपने संबोधन में 60 महीने के रिकॉर्ड समय में 60 करोड़ की आबादी तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने की प्रशंसा करते हुए, इस तथ्य को रेखांकित किया कि स्वच्छता पहल विशेष रूप से गरीबों और वर्चितों के कल्याण के लिए निर्देशित है। अब इस काम को छोड़ना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ाना है।

हाल में स्वच्छता के लिए सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित तेलंगाना में पेदापल्ली जिले का मामला, स्वच्छता कार्य के बहुआयामी स्वरूप की ओर इशारा करता है। यह जिला खुले सीवरेज या जल निकासी से पूरी तरह मुक्त है। सभी घरों में शौचालयों के अलावा बड़ी संख्या में अलग-अलग सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। गांवों में इन सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी स्वच्छता

प्रधानमंत्री ने बापू की 150 वीं जयंती पर साबरमती में उनके आश्रम के पास सरपंचों और स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता और आदतों में बदलाव के लिए दुनिया का एक प्रतिष्ठित स्वच्छता आंदोलन बनाने का श्रेय भारत के सामान्य ग्रामीणों को दिया, जिनकी समर्पित भागीदारी से यह संभव हो पाया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी को स्वच्छ भारत की उपलब्धियों को संरक्षित करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता और आदतों में बदलाव के लिए दुनिया का एक प्रतिष्ठित स्वच्छता आंदोलन बनाने का श्रेय भारत के सामान्य ग्रामीणों को दिया, जिनकी समर्पित भागीदारी से यह संभव हो पाया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी को स्वच्छ भारत की उपलब्धियों को संरक्षित करने और इन्हें आगे भी जारी रखने के संकल्प को याद रखने को कहा। उन्होंने वर्ष 2022 तक देश को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक विशिष्ट स्वच्छता और पर्यावरणीय एंजेंडा देश के सामने रखा। अब, अगले कदम के रूप में एक और समयबद्ध अभियान नए लक्ष्य के तौर पर हमारे सामने है। यह जन आंदोलन भी अविरल जारी रहेगा।

आने वाले वर्षों में गुणवत्ता और संधारणीयता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 10 साल का ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (2019-2029) शुरू किया है, जो स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत प्राप्त स्वच्छता पर, अमल जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह नीति राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। इसके तहत, ओडीएफ प्लस, जहां हर कोई शौचालय का उपयोग करता है और जहां के हर गांव में ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था है, के लिए योजना में स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों को मार्गदर्शन देने

के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। क्षमता निर्माण तथा आईईसी समेकन और शौचालय के गंदे पानी तथा थुलाई, स्नान आदि के लिए इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। पानी की उपलब्धता उन महत्वपूर्ण कारकों में शामिल है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि शौचालयों का इस्तेमाल नियमित रूप से निरंतर किया जाता रहे। जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक हर घर में पाइप जलापूर्ति के लिए महत्वाकांक्षी योजना- जल जीवन मिशन शुरू की है। यह पहल निःसंदेह स्वच्छता बनाए रखने में बहुत कारगर साबित होगी।

प्रधानमंत्री ने बापू की 150 वीं जयंती पर साबरमती में उनके आश्रम के पास सरपंचों और स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करते हुए, स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छता और आदतों में बदलाव के लिए दुनिया का एक प्रतिष्ठित स्वच्छता आंदोलन बनाने का श्रेय भारत के सामान्य ग्रामीणों को दिया, जिनकी समर्पित भागीदारी से यह संभव हो पाया। इसके साथ ही, उन्होंने सभी को स्वच्छ भारत की उपलब्धियों को संरक्षित करने और इन्हें आगे भी जारी रखने के संकल्प को याद रखने को कहा। उन्होंने वर्ष 2022 तक देश को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक विशिष्ट स्वच्छता और पर्यावरणीय एंजेंडा देश के सामने रखा। अब, अगले कदम के रूप में एक और समयबद्ध अभियान नए लक्ष्य के तौर पर हमारे सामने है। यह जन आंदोलन भी अविरल जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री ने हाल में, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता के सिलसिले में तमिलनाडू के मामल्लपुरम प्रवास के दौरान समुद्र टट पर सुबह की सैर के दौरान प्लास्टिक और अन्य कचरा उठाने के बाद, ट्वीट किया। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे सार्वजनिक स्थान स्वच्छ और सुव्यवस्थित हों! हम यह भी सुनिश्चित करें कि हम फिट और स्वस्थ रहें। ये टिप्पणियां राजनीतिक नेतृत्व की गंभीरता और पहल को दर्शाती हैं जो 130 करोड़ की आबादी की फिटनेस, स्वच्छता और स्वास्थ्य को समग्र रूप से जोड़ती है। साथ ही यह इस बात को रेखांकित करती है कि संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। □



दिल्ली मैट्रो-सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता

अनुज दयाल

प्रतिदिन औसतन तीस लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाली किसी भी सार्वजनिक-परिवहन प्रणाली के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) अपने परिसरों को, विश्व स्तर के स्वच्छ सार्वजनिक स्थल के उत्कृष्ट पर्डिल बनाए रखने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। लेख में पिछले दो दशकों में किए गए इन प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए इसकी सफलता की कहानी और विकास की चर्चा की गई है।

व

तमान में दिल्ली मैट्रो का नेटवर्क 377 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जिसमें 274 मैट्रो स्टेशन (नोएडा - ग्रेटर नोएडा मैट्रो कॉरिडोर सहित) हैं। इसके परिचालन के परिमाण का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर दिन 30 लाख से अधिक लोग 18 घंटे से ज्यादा इसकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं। इन्हें 320 से अधिक रेलगाड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंचाती हैं।

व्यापक स्तर पर लाखों लोगों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने वाली इस परिचालन व्यवस्था के लिए सार्वजनिक स्वच्छता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। दिल्ली मैट्रो का कामकाज मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है: परियोजना शाखा तथा परिचालन और निगरानी शाखा। परियोजना शाखा जहां दिल्ली मैट्रो की निर्माण गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है, वहाँ परिचालन और रखरखाव शाखा दिन-प्रतिदिन की मैट्रो सेवाओं के परिचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

दिल्ली मैट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर यात्री उपयोग के लिए शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। चरण 2 के बाद से, शौचालय को स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। चरण 3 के सभी स्टेशनों पर भुगतान वाले क्षेत्रों में शौचालय उपलब्ध हैं। समूची

देखभाल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और गाड़ियों के अंदर तथा स्टेशनों पर यात्रों से सफाई की जाती है। सभी निर्माण स्थलों पर, कामगारों के उपयोग के लिए भी शौचालय उपलब्ध कराए जाते हैं। कार्य-स्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए जाते हैं।

परियोजना शाखा

डीएमआरसी की निर्माण गतिविधियां इसके समग्र कामकाज का अभिन्न अंग हैं। यह, 1998 से, लगभग लगातार मैट्रो निर्माण कार्य में लगा हुआ है। दिल्ली मैट्रो का पहला चरण 65 किलोमीटर के साथ 2005 में, पूरा हो गया था। दूसरे चरण में 2011 में 125 किलोमीटर मार्ग पर इसका परिचालन शुरू किया गया। तीसरे चरण में 2018 में, 160 किलोमीटर की नई लाइनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सभी निर्माण स्थलों पर हजारों श्रमिक पिछले दो दशकों से मैट्रो निर्माण कार्यों में लगे हैं। श्रम कानूनों तथा सुविधाओं के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। डीएमआरसी ठेकेदारों के लिए अभिविन्यास कार्यशालाएं



लेखक दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट कम्प्युनिकेशन प्रमुख और कार्यकारी निदेशक हैं।
ईमेल: anujedcc@dmrc.org

आधोजित करता है ताकि इन पहलुओं का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जा सके।

इसके निर्माण कार्यों में चूंकि बड़ी संख्या में श्रमिक और अधिकारी लगे हुए हैं, इसलिए स्वच्छता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। भारत में, अक्सर यह देखा जाता है कि निर्माण स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं होती और श्रमिकों को आस-पास के खुले स्थानों का उपयोग करना पड़ता है जिससे गंदगी फैलती है और वातावरण दूषित होता है। डीएमआरसी ने इसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। उसने टेकेदारों को, श्रमिकों के लिए निर्माण स्थलों पर शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। इनका उचित रखरखाव किया जाता है और हर समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

उपरोक्त के साथ-साथ, श्रमिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में भी जागरूक

किया जाता है। विभिन्न गतिविधियों जैसे कार्यशालाओं, नुकड़ नाटकों, लिखित सामग्री के वितरण आदि के माध्यम से उन्हें स्वच्छता बनाए रखने के प्रति जागरूक किया जाता है। उदाहरण के लिए, हर साल जून-जुलाई के आसपास मच्चर-प्रजनन के मौसम की शुरुआत में, लिखित सामग्री का वितरण किया जाता है और कार्य स्थल पर जल-भराव रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बैनर लगाए जाते हैं।

इसके अलावा, सुरक्षा, साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्माण स्थलों के चारों ओर लगे अवरोधकों पर इस बारे में आकर्षक भित्तिचित्र और कलाकृतियां चित्रित की जाती हैं। इन उपायों और सतत सतर्कता के परिणामस्वरूप, 1998 में काम शुरू होने के बाद निर्माण स्थलों पर सार्वजनिक

स्वच्छता से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है।

संचालन और रखरखाव शायद

शहरी परिवहन प्रदाता के रूप में डीएमआरसी अपने समूचे नेटवर्क के परिसरों में यात्रियों को सुरक्षित और साफ-सुधारी सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाता है। उसके द्वारा अपने समूचे नेटवर्क में दी गई सुविधाओं से यह स्पष्ट भी होता है। दिल्ली-एनसीआर के सभी 274 स्टेशनों पर शौचालय की सुविधा डीएमआरसी की एक बड़ी उपलब्धि है। यह संभवतः दुनिया में किसी भी शहरी परिवहन व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले शौचालयों की संख्या में सर्वाधिक है। तीसरे चरण की परियोजना के तहत सभी स्टेशनों में, शौचालयों को भुगतान क्षेत्र में खोला गया है, ताकि यात्री उस प्लेटफार्म के पास सुविधाओं का उपयोग कर सकें, जहां से वे मैट्रो में सवार होते हैं। तीसरे चरण की परियोजना से पहले, निर्मित स्टेशनों पर स्थान की उपलब्धता के आधार पर शौचालय बनाए गए हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय स्टेशन भवनों के अंदर बनाए गए हैं। शौचालयों का निर्माण करते समय, दिल्ली मैट्रो ने यह भी सुनिश्चित किया है कि वे बुजुर्गों, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम यात्रियों के लिए भी आसानी से सुलभ हों। शौचालय का उपयोग करने का शुल्क नाममात्र रखा गया है।

शौचालय बनाना इस कार्य का केवल एक हिस्सा है। उचित रखरखाव नियोजन के बिना सुविधाओं का निर्माण करना पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा, इसलिए डीएमआरसी ने सुविधाओं के रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल और मैसर्स सिविक इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों से मदद ली। इससे शौचालयों के रखरखाव और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिली। इसके अलावा, दिल्ली मैट्रो ने कुछ स्टेशन परिसरों के बाहर अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। इन सुविधाओं का इस्तेमाल वे लोग भी कर सकते हैं, जो मैट्रो से यात्रा नहीं करते हैं। तत्काल आवश्यकता की स्थिति में यात्री स्टेशन भवनों में डीएमआरसी कर्मचारियों के शौचालयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।





मैट्रो परिसर को स्वच्छ और गंदगी मुक्त रखना सार्वजनिक स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। दिल्ली मैट्रो अपने परिसर में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। यह दुनिया की सबसे स्वच्छ परिवहन प्रणालियों में से एक है। वर्षों से दिल्ली मैट्रो ने विश्व स्तर पर स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर साफ-सफाई और देखभाल के लिए सभी आवश्यक तरीके अपनाए हैं। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्टेशन प्रबंधकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सफाई कार्यों के लिए, कई नए उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हर समय पूरी तरह साफ-सफाई रहती है। स्टेशनों, रखरखाव डिपो आदि की सभी सफाई टीमों के प्रमुखों और पर्यवेक्षकों को विशेष एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा, डीएमआरसी अपने सभी स्टेशन प्रबंधकों, ट्रेन रखरखाव डिपो प्रभारियों और परिचालन विभाग के अन्य अधिकारियों के लिए सफाई और देखभाल तकनीकों की बारीकियों को समझने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। अपेक्षित मशीनरी, अभिकर्मकों, रसायनों और देखभाल कमियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। कर्मचारियों के ईपीएफ तथा ईएसआई

अंशदान का समय पर भुगतान किया जाता है और उनका न्यूनतम वेतन सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।

डीएमआरसी नेटवर्क पर लागू देखभाल व्यवस्था की विशेषताएं हैं:

1. सफाई-कार्यों में मशीनरी का इस्तेमाल: मौजूदा मशीनरी को उन्नत करने के अलावा कुछ नई मशीनों जैसे विद्युत-संचालित स्क्रबर ड्रायर, बैक पैक वैक्यूम क्लीनर आदि उपलब्ध कराए गए हैं।
2. धूल मुक्त सफाई कार्य।
3. स्वच्छ तरीके से कचरे के प्रबंधन के लिए नष्ट होने योग्य कचरा निपटान थैले का इस्तेमाल करना।
4. सफाई कार्यों के लिए पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का उपयोग करना।

डीएमआरसी उपर्युक्त के अलावा, स्टेशनों पर पीने का पानी नाममात्र कीमत पर

डीएमआरसी अपने सभी स्टेशन प्रबंधकों, ट्रेन रखरखाव डिपो प्रभारियों और परिचालन विभाग के अन्य अधिकारियों के लिए सफाई और देखभाल तकनीकों की बारीकियों को समझने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

उपलब्ध कराता है, यदि उपयोगकर्ता अपना पात्र या बोतल नहीं लाते तो उनसे केवल पेपर कप की कीमत ली जाती है। कुछ स्टेशनों पर आस्त्रो संयंत्र भी लगाए गए हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं। ये अपने स्मार्ट बाटर एटीएम के जरिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी का पुनरावर्तन करते हैं। इनका रखरखाव निजी कंपनियों के सहयोग से किया जाता है।

दिल्ली मैट्रो ने अपनी परियोजना के निष्पादन और संचालन में पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाए हैं। भारत सरकार की हालिया पहल के अनुरूप, समूचे नेटवर्क में, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएमआरसी जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। उसने अपनी गतिविधियों में कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के कई तरीके विकसित किए हैं। दिल्ली मैट्रो के तीसरे चरण में सभी मैट्रो स्टेशनों को पर्यावरण के अनुकूल यानी हरित इमारतों के रूप में डिजाइन किया गया है और उसी के अनुरूप इनका निर्माण किया जा रहा है। इनमें ऊर्जा संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ-साथ कार्बनडायऑक्साइड के उत्सर्जन में और कमी, पानी की बचत तथा कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। □

सरदार वल्लभभाई पटेल-एकीकरण के सूत्रधार


आई जी पटेल

सरदार पटेल ने 550 देसी रियासतों के मामले को काफी असरदार तरीके से निपटाया। यहां तक कि उनके इस रणनीतिक कौशल ने उनके विरोधियों को भी चकित कर दिया। तकरीबन एक साल के भीतर उन्होंने भारत के नक्शे का खाका बदलकर रख दिया और तमाम देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय संभव हो पाया।

भा

रत को 1947 में आजादी मिलने के बाद अगर सरदार पटेल उपप्रधानमंत्री नहीं बनते, तो भारत का इतिहास का कुछ और होता। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी और निर्भीक सरदार पटेल ने बिना किसी भय या पक्षपात के गृह मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वह मानवीय प्रकृति - उसकी कमजोरियों और ताकत को काफी बेहतर तरीके से समझते थे। सरदार पटेल ने 550 देसी रियासतों के मामले को काफी असरदार तरीके से निपटाया। यहां तक कि उनके विरोधियों को भी चकित कर दिया। तकरीबन एक साल के भीतर उन्होंने भारत के नक्शे का खाका बदलकर रख दिया और तमाम देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय संभव हो पाया। इस तरह से राजनीतिक रूप से देश का एकीकरण किया जा सका, जो पहले से ही सांस्कृतिक एकता और सौहार्द के दायरे में था।

अगर सरदार पटेल कुछ और नहीं भी करते, तो भी भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्णक्षरों में लिखा होता, ताकि भविष्य की पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ले सकें। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि बेशक उन्होंने राजाओं से सब कुछ ले लिया, लेकिन इन राजाओं ने कभी भी गलत व्यवहार या अन्याय के बारे



में उनसे शिकायत नहीं की। इसके उलट, इन राजाओं ने एकसुर में सरदार पटेल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने राजनीतिक, वित्तीय आदि मामलों में जो उदारता दिखाई है, वह तारीफ के काबिल है। सरदार, छोटी-बड़ी सभी रियासतों के राजाओं के साथ सहदयता, विचारशीलता और निष्पक्षता के साथ पेश आए और इससे रियासतों के प्रतिनिधि के साथ-साथ उनके आलोचक तक काफी प्रभावित थे। सरकार की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके धुर विरोधी भी उनके बेहद भरोसेमंद प्रशंसक हो गए।

बहरहाल, सरदार पटेल के जीवन के कुछ अन्य पहलू भी काफी प्रेरणादायी हैं। उन्होंने अपने जख्म के ऑपरेशन के बहत जो साहस दिखाया था, वैसा उदाहरण इतिहास में काफी कम देखने को मिलता है। जमी-जमाई वकालत की अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना और इससे जुड़ी सत्ता का त्याग करना वैसे किसी भी व्यक्ति के लिए उदाहरण हो सकता है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। उनकी व्यक्तिगत खूबियों के अलावा बारडोली, रास और अन्य जगहों पर किसानों के हितों के लिए किया गया उनका काम उतना ही सराहनीय है। सरदार के पास काफी दृढ़ इच्छाशक्ति थी, जिसके कारण वह देश से जुड़े लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर देख पाते थे। एक किसान के रूप में वह जमीनी सच्चाइयों को बखूबी समझते थे। वह समस्याओं की तह में जाते थे और उस समस्या जड़ की तलाश करते थे, जिससे देश संक्रमित था। उनकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट थी; समझ सटीक थी और उनकी शैली सहज और सीधी।

सरदार के स्वभाव का एक रचनात्मक और संगठनात्मक पक्ष भी था, जिसकी झलक उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों में दिखी। चाहे अहमदाबाद नगर निकाय के अध्यक्ष के रूप में किया गया उनका काम हो, हरिजनों के लिए कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका या अन्य कार्य, सरदार ने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्यों को अंजाम

दिया। उनकी यह खुबी आज भी लोगों को ध्यान आकर्षित करेगी।

अहमदाबाद में बाद के दौरान जिस तरह से पानी में उत्तरकर उन्होंने राहत कार्यों का नेतृत्व किया, वह वाकई में अनूठा था। बाद के दौरान और उसके बाद उनका काम बेहद सराहनीय रहा। हालांकि, ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस पर काफी पैसा खर्च किया। उन्होंने मितव्ययिता के साथ अभियान को अंजाम दिया, जो एक अच्छे किसान की विशेषता होती है। सरदार सचमुच में एक किसान के बेटे थे। अहमदाबाद और पूरे राज्य में पटेल के नेतृत्व में किए गए राहत कार्यों में पैसे का अपव्यय नहीं के बराबर हुआ। उनके व्यक्तित्व और कार्य के इस पहलू के बारे में काफी कम बात हुई है। सरदार एक शानदार संगठनकर्ता थे और उनके व्यक्तित्व का यह पहलू बेजोड़ था। अहमदाबाद और गुजरात में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य के मामले में श्री वल्लभभाई पटेल का प्रभाव इस कदर रहा है कि आज भी गुजरात में किसी तरह की आपदा की स्थिति में राहत कमेटी काम करती है। उनकी मौत के इतने बर्षों के बाद भी मानवता की सेवा भावना से आज भी कमेटी काम कर रही है और यह सरदार पटेल की दूरदर्शिता का परिणाम है।

हालांकि, सरदार पटेल में जो पारदर्शिता और निष्ठा का भाव था, उसे




देश के पहले उपप्रधानमंत्री व गृहमंत्री पद की शपथ लेते हुए

भी अक्सर अनदेखा किया जाता रहा। इस दुनिया में कौन पिता अपनी मौत के बक्ता अपने बेटे के घर पर नहीं रहना चाहेगा? बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि सरदार अपने जीवन के अंतिम दिनों में बंबई में अपने बेटे के घर तक नहीं गए। दरअसल, उन्हें पता चला था कि उनके बेटे ने अपने निजी लाभ के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने एक दोस्त के घर में अंतिम सांस ली। किसी शख्स की ईमानदारी, त्याग और

संकल्प और साधनों की शुचिता के बारे में इससे बेहद उदाहरण क्या हो सकता है।

उन्होंने कही मेहनत और त्याग से समस्याओं का हल निकाला। उन्होंने एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर अवसर का उपयोग किया और इस दौरान कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठे। उन्हें पता था कि एक महान रानजेता और आजादी के शुरुआती दौर का प्रचार-प्रसार एक चीज़ है और देश का विकास अलग मामला है। हमारी दिशा जो भी हो, हमें वास्तविकता को समझना होगा और विकास में गरीबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं और संसाधनों को इकट्ठा करना होगा। नए भारत के इस निर्माण अभियान में उन्होंने पूर्व आईसीएस अधिकारियों से सहयोग मांगा और इन अफसरों ने भी दिल से उनके इस आह्वान पर सक्रियता दिखाई। सरदार एक तरह से 'भाग्य विधाता' थे और देश का भाग्य उनके जीवन से जुड़ा था। उन्होंने अपने लिए महान लक्ष्य कैसे हासिल किया, उसे उनकी दिलचस्पी और लंबी यात्रा के जरिये समझा जा सकता है। □

(यह प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित श्री आई. जी. पटेल की किताब 'विल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया-सरदार वल्लभभाई पटेल' का उद्धरण है। लेखक सरदार पटेल विश्वविद्यालय, विद्यानगर, गुजरात के तत्कालीन कुलपति हैं।)



आकाशवाणी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए

राष्ट्रीय एकता दिवस

भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार


सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत



अग्रभाग



पृष्ठभाग



भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया है। गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की एक अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर, 2019 को जारी की गई।

इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और अखण्ड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस, अर्थात् 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की जाएगी।

यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौर पर प्रदान किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह के साथ एक पुरस्कार समारोह में उनके द्वारा दिया जाएगा।

इस पुरस्कार के लिए पुरस्कार समिति होगी, जिसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय केबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन-चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र होगा। इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।

नामांकन प्रति वर्ष आमत्रित किए जाएंगे। आवेदनों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट www.nationalunityawards.mha.gov.in पर ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक होगा। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के भेदभाव के बिना भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी व्यक्ति को भी नामांकित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं। राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं। □

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय